Saturday, 24 August, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation
17-7-84
Fumigated
On 24.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया।

Price: One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 23, शनिवार 24 अगस्त, 1968/2 भाद्रपद, 1890 (शक)

No. 23, Saturday, August, 24, 1968/Bhadra 2, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प-सूचना प्रश्न	**Short Notice Question**	1-9
11 परादीप पतन में रेत जमा हो जाना	Siltation of Paradeep Port	
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों के बारे में	Re. Calling Attention Notices and Adjournment Motions	9-10
सदस्यों का अवरुद्ध किया जाना, हटाया जाना तथा उन्हें रिहा किया जाना	Restraint, Removal and Release of Members	10
सभा का कार्य	Business of the House	10-11
स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक	Gold (Control) Bill	11-33
खण्ड 16 से 117 तथा 1	Clauses 16 to 117 and 1	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री चंद्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
श्रीमती तारा सप्रे	Shrimati Tara Sapre	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathuram Ahirwar	
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
बिहार आय-व्ययक, 1968-69	Bihar Budget, 1968-69	33-74
सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगे	General Discussion and Demands for Grants	

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
श्री फ० गो० सेन	Shri P. C. Sen	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Hlmatsingka	
श्री मुद्रिका सिंह	Shri Mudrika Sinha	

Trith Raj Press Allahabad

लोक-सभा

LOK SABHA

शनिवार, 24 **अगस्त** 1968 / 2 **भाद्रपद**, 1890 (**शक**)

Saturday, August 24, 1968 / **Bhadra**, 2, 1890 (**Saka**).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

परादीप पत्तन में रेत जमा हो जाना

अ० सू० प्र० 11. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्री यशपाल सिंह : श्री रवि राय :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप पत्तन में रेत जमा हो जाने के कारण 16 अगस्त, 1968 से जहाजों को इस पत्तन पर आने से मना कर दिया गया है ;

(ख) क्या जहाजों को कलकत्ता जाने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (**डा० वी० के० आर० वी० राव**) : (क) और (ख) प्रदीप पत्तन न्यास ने दिनांक 14 अगस्त, 1968 को प्रचारित किया कि केवल 28 फिट खींचने वाले जलयान ही पत्तन में प्रवेश कर सकते हैं। दिनांक 16 अगस्त, 1968 को आने वाले 28 फिट से अधिक खींचने वाले एक जलयान को मद्रास भेजना पड़ा। स्वीकृत 28 फिट तक के डुबाव वाले जलयान पत्तन में बराबर आ रहे हैं। एक जलयान दिनांक 21 अगस्त, 1968 को पत्तन में आया तथा 22 अगस्त, 1968 को चला गया। दिनांक 25 तथा 27 अगस्त, 1968 को भी दो जलयानों के आने की सम्भावना है।

(ग) पत्तन के ड्रेजर तथा रेत-पम्प जिनकी प्राप्ति में बड़ी देर हो गई थी, द्वारा नियमित रूप से रेत निकालने के कार्य में शिथिलता के कारण, प्रवेश मार्ग में गॉद जमा हो गई। विभिन्न निदान किये जा चुके हैं या विचाराधीन हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : गत तीन वर्षों में रेत के न निकाले जाने के कारण तथा गाद जमा हो जाने के कारण, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, डुबाव 42 फिट से घटकर 28 फिट रह गया है। मैं यह जानना चाहूँगा क्या मन्त्री महोदय ने अब इस डुबाव को पहले 28 फिट से 32 अथवा 34 तक बढ़ाने के कोई उपाय किये हैं ? इससे भी प्रदीप पत्तन की समस्या हल नहीं होगी। इसलिये, क्या मैं जान सकता हूँ क्या सरकार सुकरानी समिति जो कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने नियुक्त की थी तथा जिसने प्रदीप पत्तन में रेत जम जाने के बारे में जांच की थी, की सभी सिफारिशों को तुरन्त ही लागू कर रही है ? उन्होंने सुझाव दिया है कि रेत निकालने का कार्य तुरन्त किया जाना चाहिये, डुबाव को 42 फिट तक बढ़ाया जाना चाहिये, मोड़ के वृत्त को चौड़ा किया जाना चाहिये तथा 40,000 टन तथा 60,000 टन के जलयानों के आने के लिये मार्ग साफ किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहूँगा कि भारी मात्रा में रेत निकालने, तथा रेत निकालने के कार्य को लगातर बनाये रखने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

डा० वी० के० आर० वी राव : माननीय सदस्य ने मेरे मन्त्रालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के बारे में कहा है। समिति प्रदीप में गई तथा लगभग चार दिन रही तथा उसकी रिपोर्ट हमें 20 अगस्त की रात्रि को प्राप्त हुई है। उसकी विभिन्न सिफारिशों पर हम तुरन्त ही कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम तुरन्त ऐसे उपाय कर रहे हैं कि अगले 20 या 25 दिनों में डुबाव बढ़कर 32 हो जाये। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि जब तक भारी मात्रा में रेत नहीं निकाला जाता प्रदीप पत्तन की समस्या हल नहीं होगी। पहले तो...

श्री रंगा : रेत निकालना क्या ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : भारी मात्रा में रेत निकालना। रेत निकालने के नियमित कार्य से दिन प्रति दिन पत्तन ठीक-ठाक रहती है। सुकरानी समिति की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि भारी मात्रा में रेत निकालने की आवश्यकता है तथा इसके लिये हम उन लोगों से पहले ही विचार-विमर्श कर चुके हैं जो मद्रास पत्तन पर रेत निकालने का कार्य कर रहे हैं। वे यहां पहुँच गये हैं तथा हमने उनसे बात चीत की है। हमने जापानियों से भी कुछ बात-चीत की है जो कि इसमें रुचि लेते प्रतीत होते हैं तथा उन्हें प्रदीप पत्तन में जाना है तथा यह पता लगाना है कि मुख्यतया क्या कठिनाईयां हैं तथा इस सम्बन्ध में कितनी लागत तथा समय लगेगा। ज्यों ही हमें इन लोगों से विस्तृत अनुमान प्राप्त होंगे, हम निश्चय ही वित्त मन्त्रालय के साथ बात करेंगे और हमें आशा है कि प्रदीप पत्तन के लिये भारी मात्रा में रेत निकालने के लिये स्वीकृति मिलने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि इस पत्तन में 42 फिट का डुबाव होना ही चाहिये क्योंकि यह हमारे सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक पत्तनों में से एक है तथा हम उसे एक द्वितीय श्रेणी का पत्तन नहीं बनने दे सकते।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मन्त्री महोदय द्वारा व्यक्त चिन्ता को अनुभव करते हुए, मैं उनसे यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें मालूम है कि फरवरी 1968 में, भारत सरकार के

अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन संस्था की ओर से, एक विशेषज्ञ समिति इस पत्तन में गई तथा पत्तन में डुबाव की तीव्रता से बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में सरकार को चेतावनी भी दी, तथा हमने भी सरकार से तुरन्त उपाय करने की प्रार्थना की ताकि इस वर्ष प्रदीप पत्तन पर यातायात में बाधा न पड़े। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने फरवरी और जुलाई अथवा अगस्त के मध्य प्रदीप पत्तन में डुबाव बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि सरकार ने प्रदीप पत्तन पर भारी मात्रा में रेत निकालने के बारे में पहले ही जापानी और डच संस्थानों से विचार-विमर्श कर लिया था, और यदि हां, तो क्या इस सितम्बर तक भारी मात्रा में रेत निकालने का कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : अन्तराष्ट्रीय पत्तन तथा बन्दरगाह संस्था द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट हमें केवल अगस्त के आरम्भ में ही प्राप्त हुई है। हमने स्वंय ही पहल की थी तथा हमने प्रदीप पत्तन को वहां गॉद के कारण उत्पन्न हुई अत्यन्त गम्भीर स्थिति के बारे में लिखा था तथा हमने दो अगस्त को इस समिति को वहां प्रदीप पत्तन पर जाने और एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। भारी मात्रा में रेत निकालने के बारे में मैं पहले ही बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम जापानी तथा डच लोगों से प्रारम्भिक विचार विमर्श कर रहे हैं। यह कार्य ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही हो जाये। भारी मात्रा में रेत निकलवाने के लिये हमें निविदायें आमंत्रित करनी पड़ेगी या फिर बात-चीत करनी पड़ेगी। सारा ब्यौरा तैयार करना होता है। कई लाख रुपये की लागत आयेगी तथा इसके लिये हमें वित्त मन्त्रालय से अनुमति आदि प्राप्त करनी होगी। परन्तु माननीय सदस्य को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे कोई सन्देह नहीं है जिस स्तर पर भारी मात्रा में रेत निकालने का सुझाव सुकरानी समिति ने दिया है उसके बिना प्रदीप पत्तन को उस स्तर तक फिर से लाना सम्भव न होगा जिसकी आशा हमने उसे एक प्रमुख पत्तन के रूप में अपने अधीन करते समय की थी।

Shri Rabi Ray : First of all, our allegation against the Government of India is that they are not making this Paradip port as they should have, considering it an important port. As regards dredging, the hon. Minister himself admits that there is no other way else than capital dredging, for its development. He himself admits that it is an important port ; so will he state what recommendations have been made by the Sukrani Committee ? As I said, on one hand, we have Sukrani Committee's recommendations and those of International experts on the other. Now you know that if you do not want to work, you may appoint a committee on a Commission. Would the hon. Minister assure the House that in view of the recommendations of these two committees, he would issue certain effective instructions for capital dredging within a stipulated period ? The hon. Minister knows that work relating to iron ores to which is being done with Japanese collaboration, is in danger and, therefore, this job has become very essential ; so, is he prepared to assure the House that he would get the capital dredging done within a specified time ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य प्रदीप पत्तन के इतिहास से कदाचित परिचित नहीं हैं किन्तु सरकार द्वारा पत्तन को पूरा न कराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह पत्तन पहले तो उड़ीसा सरकार ने अपने अधीन ली थी, इसका डिजाइन बनाया तथा न्यूनाधिक इसे पूरा किया; परन्तु जब उन्हें कठिनाई अनुभव हुई तो हमने उसे अपने अधीन कर लिया।

जहां तक सुकरानी समिति का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम इस बारे में कार्य-

वाही कर रहे हैं। साथ ही मैं यह भी कह दूँ कि इन सिफारिशों में एक सिफारिश इस बारे में भी थी कि तुरन्त ही क्या किया जाना चाहिये क्योंकि भारी मात्रा में रेत निकालने के कार्य में कुछ समय लगेगा।

हमारे पास एक ड्रेजर कलकत्ता में है जिसे **मोहना** कहते हैं। यह ड्रेजर पहले भी लगभग दो महीने के लिये रेत निकालने हेतु यहां आ चुका है। हमने कलकत्ता पत्तन न्यास आयुक्तों के साथ **मोहना** को पुनः प्रदीप में भिजवाने के प्रबन्ध कर लिये हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वह कलकत्ता से कल चल चुका होगा। **मोहना** के दो-तीन दिन में प्रदीप पहुँचने की आशा है।

प्रदीप पत्तन के अपने दैनिक रेत निकालने वाले **कोणार्क** की प्राप्ति में काफी समय लग गया। इसके लिये वर्ष 1963 में आदेश दिये गये थे। विचार यह था कि **कोणार्क** ड्रेजर इस पत्तन के प्रमुख पत्तन घोषित होने से पूर्व ही तैयार हो जायेगा तथा फिर विशेष रूप से भारी मात्रा में रेत निकालने के कार्य की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुर्भाग्य से **कोणार्क**, जिसको बनाने के लिये हमने अपनी ही गार्डन रीच वर्कशॉप को आदेश दिये थे, के तैयार होने में विभिन्न कारणों से अधिक समय लग गया। इनमें एक कारण यह था कि हम इतने सामर्थ्य का ड्रेजर भारत में पहली बार ही बना रहे थे। यह ड्रेजर केवल कुछ ही महीने पहले प्राप्त हुआ है, यह कार्य करने की अच्छी स्थिति में है तथा अच्छा, कार्य कर भी रहा है। अब वह सूखी गोदी के लिए कलकत्ता गया है। हमने कहा है कि वह ड्रेजर अगले चार-पांच दिनों तक वापस भेजा जाये, और हमें आशा है कि सितम्बर मास के प्रथम सप्ताह तक **कोणार्क** ड्रेजर प्रदीप पत्तन पर अपना कार्य आरम्भ कर देगा। इसी लिए तो मैं कहता हूँ कि जो डुबाव 28 फिट हो गया था उसके सितम्बर मास के अन्त तक फिर से 32 फिट तक हो जाने की आशा है।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या गॉद निकालने का कार्य वित्त मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, जो कि गॉद निकालने के कार्य से भी देर में प्राप्त होती है, क्या मैं जान सकता हूँ मंत्री महोदय द्वारा बताये गये उपायों के अतिरिक्त और कौन से अध्यावधि उपाय किये जा रहे हैं ? ड्रेजरों के आने में देरी को देखते हुए, सरकार ऐसे कौन से अध्पावधि उपाय कर रही है ताकि स्थिति अधिक खराब न हो तथा भविष्य में भी अधिक कठिनाई न हो ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि **मोहना** वहाँ जा रहा है तथा एक अन्य ड्रेजर भी वहाँ पहुँच रहा है।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : परन्तु उसमें समय लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी उनके प्रश्न के लिये पहला उत्तर भी मान लिया जा सकता है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं सदन को पहले ही बता चुका हूँ कि क्या तुरन्त उपाय कर रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त गॉद हटाने के लिये हम कुछ नही कर सकते।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : फिर भी मंत्री महोदय ने यह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार किया है। 20 दिन पूर्व मैंने एक अल्प सूचना प्रश्न प्रस्तुत किया था। परन्तु वह मंत्री महोदय ने अस्वीकार कर दिया था। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था।

श्री हेम बरुआ : यह बहुत गम्भीर मामला है। जब कोई विपक्ष का सदस्य कुछ प्रस्तुत करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है परन्तु यदि शासक दल का कोई सदस्य प्रस्तुत करता है तो वह स्वीकार कर लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रबी राय का नाम है। वह विपक्ष के सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : जब मैंने अल्प सूचना प्रश्न प्रस्तुत किया तो वह अस्वीकार कर दिया गया। पहले मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था और वह अस्वीकार हो गया तथा इसके बाद मैंने अल्प सूचना प्रश्न रखा तो वह भी मंत्री महोदय ने स्वीकार नहीं किया। सत्र के अन्त में हमें पता लगता है कि वह स्वीकार किया जा रहा है। फिर भी, मन्त्री महोदय द्वारा इसका कार्यभार लिये जाने के बाद से दिखाई गई इतनी सहृदयता के बावजूद भी यह सत्य नहीं भुलाया जा सकता कि प्रदीप पत्तन की इस स्थिति के लिए भारत सरकार उत्तर दायी है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है, भले ही मन्त्री महोदय कुछ भी करें। क्या उड़ीसा सरकार को दण्ड दिया गया है क्योंकि वह भारत सरकार की स्वीकृति लिए बिना इस पत्तन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाती रही ? क्या यही उनका रवैया है ? भारत सरकार ने मार्च, 1966 में इस पत्तन को सम्भाला था। विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी श्रीमन्, आपको भी मालूम होगा क्योंकि आपके पास भी मन्त्री के रूप में कुछ समय के लिये इसका कार्यभार रहा था। यह कहा गया था कि प्रदीप पत्तन के चालू होने से पूर्व ये तीनों चीजें उसके विकास के लिये आवश्यक थी। इसमें यही कहा गया है :

"अवस्था चार्टों में बताया गया है कि पत्तन को यातायात के लिये खोलने से पूर्व, पनकट दीवार के कार्य का अधिकतम भाग पूरा हो जायेगा; चूषण ड्रेजर मंगा लिये जायेंगे तथा चालू कर दिये जायेंगे, रेत पम्प लगाकर चालू कर दिये जायेंगे, परन्तु ये सब कार्य मार्च, 1966 में पत्तन के चालू होने तक समन्वित तथा तैयार नहीं हो सकते थे।"

परिणामत: ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। वास्तव में यह केवल गॉद बढ़ने का ही प्रश्न नहीं है। गॉद तो बढ़ती जा रही है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि वह मद्रास तथा विशाख पत्तनम से आ रही है। वर्तमान प्रबन्ध से तो उसे काबू करना असम्भव है। मोहना और कोणार्क तो दैनिक रेत निकालने वाले यंत्र हैं। मोहना ने केवल दो मास तक कार्य किया तथा फिर चला गया। कोणार्क जो कि इसी पत्तन के साथ संलग्न होना है, भारतीय उत्पाद है तथा निश्चित तिथि से दो वर्ष बाद जनवरी, 1968 में प्राप्त हुआ है। इसने कठिनता से केवल दो मास तक कार्य किया तथा फिर मरम्मत के लिये चला गया। यही स्थिति है। जहां तक समिति का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि उसने कहा है कि मार्च, 1969 से पूर्व कोई न कोई शीघ्र उपाय किये जाने चाहिये अन्यथा पत्तन को बन्द घोषित कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में एक दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं यह विशिष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि मोहना तथा कोणार्क को किस तारीख तक काम पर लगा दिया जायेगा। मेरा दूसरा प्रश्न भारी मात्रा में रेत निकालने के बारे में है। मुझे आशा है कि वे अपेक्षित धन राशि के लिये वित्त मंत्री पर दबाव डालेंगे ताकि स्वयं पत्तन के लिये ही भारी मात्रा में रेत निकालने वाला ड्रेजर लिया जा सके क्योंकि यही न्यायसंगत तथा उचित होगा कि इस पत्तन को एक राष्ट्रीय पत्तन, भारत का सबसे बड़ा पत्तन मान लिया जाये और यही एक पत्तन है जो कि ड्रेजर के बिना कार्य कर रहा है। इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ? उन्हें तुरन्त ही मद्रास में ठेके दारों अथवा अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क करना चाहिए जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। क्या उनसे निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं ताकि कार्य शीघ्रता से हाथ मे ले लिया जाये और मार्च 1969 तक यह पत्तन 60,000 और 30,000 टन के जलयानों को स्वीकार कर सके। इस समय तो पत्तन की गहराई घट कर 28 फिट रह गई है। वास्तव में हमें 32,000 और 42,000 टन के जापानी जलयान मिल रहे थे परन्तु अब उन्हें किसी अन्य

दिशा में भेज दिया गया है क्योंकि यह पत्तन उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या ड्रेजर प्राप्त कराने के लिये वित्त मंत्रालय सहायता कर रहा है और क्या उसे साफ करने के लिये ठेके पर कार्य कराया जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने अपने इस भाषण में काफी कुछ कह दिया है। आचार्य कृपालानी के कहने के बाद, मैं विपक्षी सदस्यों से शिक्षा लेने की पूरी इच्छा रखता हूँ तथा इसीलिए मैं बड़ी रुचि के साथ सब कुछ सुन रहा था।

अध्यक्ष महोदय : केवल विपक्ष के ही सदस्य नहीं, बल्कि इस ओर के भी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जी हां, इस ओर से भी। मेरी त्रुटि ठीक हो गई। माननीय सदस्य ने शिकायत की है कि 20 दिन पहले मैंने उनका प्रश्न स्वीकार नहीं किया था। उस समय हमने यह विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। मैं केवल इतना ही कहकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता था कि एक समिति नियुक्त कर दी गई है। मैंने सोचा कि अच्छा यही होगा कि पहले मैं यह जानकारी प्राप्त करूँ कि वास्तव में गलती क्या है, तथा क्या किया जाना चाहिये। जैसे ही हमने कुछ कार्यवाही करने का निश्चय किया हमने समझा कि अब सभा का मूल्यवान् समय लेने का उचित अवसर है। यही कारण था कि वह प्रश्न स्वीकार नहीं किया गया था यह बात नहीं थी कि कांग्रेस के सदस्य ने वह प्रश्न किया है इसलिये उसे स्वीकार किया गया है।

अन्य जो प्रश्न उठे हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी दुर्भाग्य-पूर्ण घटनायें नहीं होनी चाहिये। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि जब इसे प्रमुख पत्तन घोषित किया गया था, हमें पनकट दीवार का कार्य पूरा कर लेना चाहिये था, एक ड्रेजर प्राप्त कर लेना चाहिये था; हमें एक पम्प स्थापित कर लेना चाहिये था। वास्तव में, ड्रेजर केवल कुछ मास पूर्व ही आया है; मैं समझता हूँ, जनवरी, 1968 में, तथा रेत-पम्प के लिये तो विदेशों से केवल जुलाई, 1968 में आया है। केवल इतनी ही बात नहीं है। वह ऐसी टूटी-फूटी दशा में आया कि इसके सब पुर्जों की मरम्मत करानी पड़ी; और यह विदेश की एक फर्म से आया था।

Shri Rabi Ray : Who is responsible for that ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : दुर्भाग्य से सारा उत्तरदायित्व आशा के विपरीत विलम्ब हो जाने का है। पहले तो डिजाइन बनाया जाना था। हमने देखा कि कोई टेंडर देने को तैयार नहीं, किसी ने टेंडर स्वीकार नहीं किया, हमने सभी विदेशी कम्पनियों को लिखा परन्तु किसी ने टेंडर प्रस्तुत नहीं किया.....(व्यवधान) मैं सदन को हर सम्भव जानकारी देना चाहता हूँ। केवल हॉलैन्ड में ही एक फर्म थी जो इसे कर सकती थी। हमें उनसे ही बात-चीत और विचार-विमर्श आदि करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे इसे 20 महीने की अवधि में दे सकेंगे, परन्तु वास्तव में उन्होंने 20 महीने से भी अधिक का समय ले लिया। अब आप पूछते हैं कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है; मैं तो केवल यही कह सकता हूँ कि जहां तक केन्द्रीय मंत्रालय का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि वे जिम्मेवार हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि उन्हें इस बारे में यकीन नहीं था तो वे ड्रेजर के बिना पत्तन को कैसे चालू कर सके ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार से इस बारे में माननीय सदस्य काम रोक

प्रस्ताव रख सकते थे। कुछ भी हो, पत्तन तो चालू कर दिया गया है परन्तु दुर्भाग्य से दैनिक रेत निकालने का कार्य, जो कि होना चाहिये था, नहीं हुआ। अब भारी मात्रा में रेत निकालना क्यों अनिवार्य हो गया है, इसका कारण यह है कि यदि रेत-पम्प समय पर आ जाता, जैसे कि किसी भी अन्य पत्तन पर आया है, काम चलता रहता। परन्तु दैनिक रेत निकालने का कार्य शायद ही हुआ है तथा हमें इस मोहना को कई बार कलकत्ता से मंगाने सम्बन्धी तदर्थ उपाय करने पड़े। जिन युगोस्लेव लोगों ने भारी मात्रा में रेत निकाला था उन्हें कुछ काम करने के लिए उन्हें दो मास का ठेका दिया गया था। अब यह स्थिति आई है। मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि केवल दैनिक रेत निकालने के कार्य से समस्या हल नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य को पहले ही बता चुका हूँ कि हम विचार-विमर्श कर रहे हैं। उन्होने मद्रास के ठेकेदारों के विषय में कहा। वहाँ एक भी ऐसा भारतीय ठेकेदार नहीं हैं जो कि भारी मात्रा में रेत निकालने का कार्य सम्भाल सके। यह कार्य तो अवश्य ही किसी विदेशी संस्थान को करना पड़ेगा। वहाँ उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। हम मद्रास में रेत निकालने वाली एक विदेशी संस्था से बात-चीत कर रहे हैं। इस समय मद्रास की वाह्य बन्दरगाह में भारी मात्रा में रेत निकालने का कार्य चल रहा है। हमने इन्जीनियरों से बात की तथा इस बारे में विचार-विमर्श किया कि क्या यह सम्भव है कि मद्रास से कुछ ड्रेजर एक या दो मास के लिये यहाँ लाये जायें ताकि किसी हद तक कुछ काम हो। हमने देखा कि जापानी लोग इसमें रुचि लेते हैं। वे प्रदीप जा रहे हैं। ज्यों ही हमें विस्तृत ब्यौरा मिलेगा, हम बहुत ही शीघ्रता से वित्त मंत्रालय से इस बारे में बात करेंगे। अपनी ओर से मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वित्त मंत्रालय भी परिवहन मंत्रालय के साथ इसमें रुचि लेता है कि प्रदीप पत्तन पर ठीक प्रबन्ध हो।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह कार्य मार्च, 1969 से पूर्व पूरा हो जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं किसी तिथि के बारे में वायदा करने का साहस नहीं करता।

श्री प्र० के० देव : यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि भारत का यह सबसे गहरा पत्तन गॉद से भरता जा रहा है तथा जलयानों को किसी अन्य दिशा में भेजा जा रहा है जिससे कि केवल देश की ही नहीं बल्कि उड़ीसा सरकार अर्थ व्यवस्था को भी धक्का पहुँच रहा है जहाँ कि उसने प्रदीप पत्तन के प्रारम्भिक निर्माण पर 16 करोड़ रुपये लगाये हैं और वह राशि उसे भारत सरकार से वापस भी नहीं मिली है, हालांकि भारत सरकार इस पत्तन को अपने अधीन ले चुकी है। केवल इतना ही नहीं, रेल सुविधा के अभाव के कारण उड़ीसा सरकार एक्सप्रैस हाइवे पर भी पहले ही 16 करोड़ रुपये लगा चुकी है। यह सारा रुपया प्रदीप पत्तन में डूब गया है। लोक सभा की प्राक्कलन समिति तथा उड़ीसा विधान-सभा की लोक लेखा समिति ने उड़ीसा सरकार के कार्य के बारे में कई बार चेतावनी भी दी है जिसके बारे में डा० वी० के० आर० वी० राव ने जिक्र किया है, कि रेत निकालने का कार्य आरम्भ से ही किया जाना चाहिये। दूसरा चिन्ता का कारण जवाहर लाल स्मृति स्तम्भ—वह संगमरमर की शिला जिससे आप भी सम्बन्धित थे, जो कि समुद्र के अपरदन के कारण गुम हो गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये, प्रश्न यह है कि भारी मात्रा में रेत निकालने के कार्य के लिये क्या कोई निश्चित समयावधि नियत की गई है; दूसरे, रेत-पम्प किस स्रोत से क्रय किया गया था तथा इसके दूषित कार्य करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह रेत-पम्प हालैंड की एक फर्म मैसर्ज हेन्सन एन्ड कम्पनी से खरीदा गया था । हमने पहले ही उन्हें केबल से सूचित कर दिया है तथा प्रार्थना की है कि वे क्षतिग्रस्त पुर्जों को या तो मरम्मत कर दें या उन्हें बदल दें तथा मालूम हुआ है कि निर्माताओं ने यह करना स्वीकार कर लिया है । हमें आशा है कि यह सारा कार्य फरवरी अथवा मार्च, 1969 तक ठीक हो जायेगा । माननीय सदस्य के प्रथम प्रश्न के बारे में मैं उनसे कहूँगा कि वे इतना निराशावादी दृष्टिकोण न अपनायें । आखिर ऐसा पहली ही बार तो हुआ है कि अगस्त में एक जलयान दूसरी दिशा को भेजा गया । पहली अगस्त तक तो कोई भी जलयान नहीं भेजा गया था । ये सब तीन जलयान अन्य दिशा को भेजे गये हैं । एक तो लिबर्टी जलयान तथा दो अन्य अतिवहन जो कि मद्रास को नहीं बल्कि हल्दिया की ओर भेजे गये । कुछ लोग समझते हैं कि हल्दिया का प्रदीप से कोई सम्बन्ध है । परन्तु मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हल्दिया और प्रदीप के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं है । भारत का कोई पत्तन 60,000 टन के जलयानों को प्राप्त नहीं कर सका है । सम्भवत: 60,000 डुबाव वाला कोई पत्तन नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रदीप हो सकता है यदि आप इसका विकास करें ।

श्री शिवाजी राव शं देशमुख : न्हेवा-शेवा है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : श्री देश मुख समझते हैं कि पत्तन बन चुका है । उस तरह तो सारे तट पर हम 100,000 या 2000,000 तक के जलयान भी प्राप्त कर सकते हैं। अत: कोई भी पत्तन किसी विशिष्ट आकार के जलयान को प्राप्त नहीं कर सकता । हम आशा कर रहे हैं कि प्रदीप ही ऐसा प्रथम पत्तन होगा जो किसी भी पत्तन की तुलना में अधिक टन वाले जलयानों को स्वीकार कर सकेगा । परन्तु दुर्भाग्य से, हम ऐसा नहीं कर सके हैं । अब तो हम यही चाहते हैं कि हम सब-और मैं अपने विपक्षी मित्रों से सहयोग पाना चाहता हूँ—कि यह पत्तन शीघ्रातिशीघ्र विकसित हो...(व्यवधान)

श्री राणा : इस तथ्य की दृष्टि से कि हाल ही में गुजरात में बाढ़ इसलिये आई कि दो प्रमुख नदियों—नर्मदा.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा । यह प्रश्न प्रदीप के बारे में है ।

श्री हेम बरुआ : इस पत्तन को इसके पूरे ताम-झाम सहित पूरा करने के लिये ड्रेजर आदि की पूरी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये थीं । प्रदीप पत्तन को कोई भी प्राप्त नहीं है । इससे प्रकट होता है कि इसकी उपेक्षा की गई है । प्रदीप पत्तन राज्य द्वारा काफी आग्रह करने पर ही अस्तित्व में आया था । मंत्री महोदय प्रदीप पत्तन को नहीं चाहते थे । मैं जानता हूँ कि वहाँ मार्ग में मिट्टी बढ़ती जा रही है तथा मार्ग नाका अपनी पहले की 600 फिट की स्थिति से घट कर 250 फिट किया जा रहा है । यह केवल रेत निकालने से नहीं सुधारा जा सकता । मार्ग को जैसे का तैसा रखने के लिए कुछ रेत-पम्पों की आवश्यकता है । क्या आपने उसके लिए कोई प्रबन्ध किये हैं अथवा क्या आपने तल तथा मार्ग में एकत्रित मिट्टी को बहा देने के लिए कोई प्रबन्ध किए हैं ? क्या आपने वर्ष 1969 तक कोई रेत-पम्प स्थापित करने के लिये भी कोई प्रबन्ध किया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं सोचता था मैंने इसका उत्तर दे दिया है । एक रेत-पम्प तो पहले ही आ चुका है, परन्तु दुर्भाग्य से, वह क्षतिग्रस्त है । इसकी मरम्मत की जानी है । मार्च, 1969 तक तो निश्चय ही हमें आशा है कि हम सभी अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य चीजें प्राप्त

कर लेंगे तथा यह देखेंगे कि यह पम्प लग जाता है। समिति की सिफारिश के अनुसार हम मार्ग को गहरा करने उसे चौड़ा करने तथा बाधाओं को हटाने के बारे में सोच रहे हैं।

श्री शिवा जी राव शं देशमुख : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी के लम्बे भाषण के उत्तर में डा० राव के रेत-निकालने सम्बन्धी बहुत लम्बे भाषण अथवा उपदेश का एक तथ्य तो स्पष्ट हो गया है कि हमारे केवल प्रमुख पत्तन ही नहीं बल्कि मध्य तथा छोटी श्रेणी के पत्तनों पर भी रेत निकालने की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु उनके अपने मंत्रालय ने ही रेत निकालने से सम्बंधित मामले पर काफी कीचड़ एकत्रित कर दिया है, और स्वयं मंत्री महोदय को भी उस कीचड़ को हटाने के लिये एक झाड़ू की आवश्यकता है। क्योंकि भारत के सभी क्षेत्रों के कोन्कण लोग.....

अध्यक्ष महोदय : अब वह अपने राज्य के बारे में भी बोल रहे हैं।

श्री शिवाजी राव शं देशमुख : जी नहीं। पत्तन पर सारे असैनिक कार्य पूर्ण करने पर भी, रेत निकालने की बात पर, महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना की है तथा मन्त्री महोदय जानते हैं कि वहां स्थानीय सामर्थ्य नहीं है। फिर विदेशी मुद्रा के आवंटन करने में क्या बाधा आती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक प्रश्न है, प्रदीप से सम्बन्धित नहीं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या मंत्री महोदय केवल यही बतायेंगे कि उन्होंने प्रदीप पत्तन के विकास के लिये कितना धन नियत किया है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। ज्यों ही चौथी योजना के आंकड़े निश्चित होंगे, मैं अवश्य यह जानकारी दे दूँगा।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICES AND ADJOURNMENT MOTIONS

Shri Rabi Ray (Puri) : It has been announced from the Radio Paris that Shri Dubchech has been killed. But this news has not been confirmed by any other Radio Station. You may please direct the Prime Minister to acquaint the House in this regard.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन है कि ध्यान दिलाने वाली जिन सूचनाओं को अभी रद्द नहीं किया गया है उन पर आप विचार करें। एक सूचना समाचार-पत्रों में तालाबन्दी के बारे में है। यदि उस पर यहां चर्चा की जाती है तो शायद हम विवाद को हल करने सम्बन्धी किसी सूत्र पर पहुँच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना मंत्री को नहीं बल्कि अध्यक्ष को सम्बोधित है। पहले मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दीजिए।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आसाम में सरकारी क्षेत्र में दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में भारतीय सरकार के असफल रहने के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। वहाँ पर कल हड़ताल थी और आन्दोलन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्धारित कार्य की सूची में बहुत पीछे हैं। यदि आप चाहें

तो मैं एक बैठक बुलाने को तैयार हूँ ताकि यह निर्णय किया जा सके कि कौन-कौन से मदों को लिया जाना है।

श्री स० मो० बनर्जी : सत्र को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक विषय है, यदि आप सब समझते हैं कि सत्र का बढ़ाया जाना आवश्यक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें पंजाब सम्बन्धी उद्घोषणा तथा बजटों को प्राथमिकता देनी होगी।

श्री रंगा (श्रीमाकुलम) : मेरा सुझाव है कि सुरक्षा परिषद् में अथवा अन्य किसी स्थान पर यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटे तो सम्बन्धित मन्त्री उसके बारे में सभा को सूचित कर दिया करें।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही।

सदस्यों का अवरुद्ध किया जाना, हटाया जाना तथा रिहा किया जाना

RESTRAINT, REMOVAL AND RELEASE OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे बम्बई के सहायक पुलिस आयुक्त से दिनांक 23 अगस्त, 1968 के दो संदेश तार प्राप्त हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि पुलिस अधिनियम की धारा 37 (3) के अन्तर्गत बम्बई के पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किये गये दिनांक 22 अगस्त, 1968 के निषेध आदेश का उल्लंघन करने का प्रयत्न करने के कारण 23 अगस्त, 1968 के 19.40 बजे लोक सभा के सदस्य सर्वश्री वीरेन शाह और नन्द कुमार सोमानी को अवरुद्ध किया गया और उन्हें गायदेवी थाने में ले जाया गया और अवसर समाप्त होने पर उन्हें उसी दिन 21-40 बजे रिहा कर दिया गया।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : क्या उनको चैकोस्लोवाकिया में रूस के सशस्त्र हस्तक्षेप के कारण गिरफ्तार किया गया था?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम इस धारा का क्या अर्थ है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 26 अगस्त, 1968 को शुरू होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित कार्य किया जायेगा :—

(1) आज की कार्य सूची से आगे ले जाये गये मदों पर विचार

(2) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर चर्चा।

(3) पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर चर्चा।

(4) बिहार राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968 पर राज्य सभा द्वारा पास किये रूप में विचार तथा उसका पास किया जाना ।

(5) पंजाब में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर चर्चा ।

(6) पंजाब राज्य विधान मन्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1968 पर विचार तथा उसका पास किया जाना ।

(7) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक संयुक्त समिति के गठन के बारे में प्रस्ताव ।

(8) (क) दण्ड तथा निर्वाचन विधियां संशोधन विधेयक, 1968 पर विचार तथा उसका पास किया जाना ।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1968 पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार तथा उसका पास किया जाना ।

(ग) समवाय (संशोधन) विधेयक 1968 पर विचार तथा उसका पास किया जाना ।

(9) शुक्रवार 30 अगस्त, 1968 को श्री पं० वेंकटासुब्बया द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में सूखे की स्थिति पर चर्चा ।

(10) श्री भंवर लाल गुप्त द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन और मँहगाई भत्ते के मिलाये जाने की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की माँग पर विचार ।

(11) सड़क परिवहन करारोपण जाँच समिति के प्रतिवेदन पर आगे चर्चा ।

जैसा कि आपने स्वय घोषणा की है, जम्मू तथा काश्मीर सम्बन्धी मामला गैर-सदस्य के प्रस्ताव के रूप में लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह अर्थ नहीं कि सभी चीजों को पूरा किया जायेगा । पहली पाँच अथवा छः चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनको अवश्य पूरा किया जाना है ।

श्री रा० ठो० भन्डारे (बम्बई मध्य) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए संयुक्त समिति गठित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को पहले ले लिया जाय क्योंकि इस पर अधिक समय नहीं लगेगा । कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए जिससे कि सत्र के समाप्त होने से पूर्व समिति के सदस्यों का चुनाव हो जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व बजटों को पास किया जाना चाहिए ।

स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक–जारी

GOLD (CONTROL) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : खण्ड-वार चर्चा के लिए 3 घन्टे का समय निर्धारित किया गया था । जिसमें से 2 घन्टे 30 मिनट का समय पहले ही व्यय किया जा चुका है । अब खण्ड 16 पर चर्चा की जायेगी ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा प्रस्ताव है कि नाबालिग के लिए सीमा को बढ़ाकर 50 ग्राम तथा वयस्क के लिए 100 ग्राम कर दी जाये ।

मेरा दूसरा संशोधन प्रक्रिया सम्बन्धी है । मेरा निवेदन है कि खण्ड 5 निर्धारित सीमा के बारे में आभूषणों और वस्तुओं के बारे में स्पष्टीकरण किया जाये ।

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : खण्ड 16 से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। इस विधेयक में वर्गीकरण मनमाने ढंग से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत सब लोग समान हैं। दो नाबालिग एक परिवार बना सकते हैं और उनको 4000 ग्राम सोना रखने का अधिकार है जबकि एक नाबालिग और एक वयस्क परिवार नहीं बना सकते। वे केवल 2800 ग्राम सोना रखने के अधिकारी हैं। इसमें युक्तियुक्त कोई बात नहीं है।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : अनेक संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु मैं श्री दाण्डेकर द्वारा प्रस्तुत किये संशोधन संख्या 93 और 94 को ही स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि उनका स्वरूप व्याख्यात्मक है ।

मैं संशोधन संख्या 92 को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उसके अन्तर्गत घोषणा भविष्य में की जानी है ।

जहां तक परिवार की परिभाषा का सम्बन्ध है व्यस्क पुत्र को पृथक से 2000 ग्राम सोना रखने की अनुमति दी गई है । अतः यह चार हजार ग्राम अतिरिक्त है । यदि आप इन 4000 ग्रामों में वयस्क पुत्रों तथा बच्चों को शामिल करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । दो नाबालिग उसी स्थिति में परिवार बना सकते हैं जब कि उनके माता और पिता न हों। मैं नाबालिग और व्यक्ति में परिवर्तन करने तथा उनको एक करने को तैयार हूँ। मैं इसको (ख) (i) (ii) में स्वीकार करने को तैयार हूँ। उस मामले में संशोधन इस प्रकार होगा ।

पृष्ठ 14—

पंक्ति 19 और 20 को हटा दिया जाये ।

पंक्ति 21 में ब्रेक्टों तथा 'नाबालिग के अतिरिक्त' शब्दों को हटा दिया जावे ।

पंक्ति 23 में (iii) के स्थान पर (ii) को रख दिया जाये ।

मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूँ । इसको स्वीकार किया जा सकता है । मैं अन्य संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13—

93. पंक्ति 14 और 15,—

वसीयतनामा "testamentary" के बाद " , " लगा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13, पंक्ति 31,—

वसीयतनामा "testamentary" के बाद " , " लगा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 254 मतदान के लिए रखता हूँ :—

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 15,—

(एक) पंक्ति 8,—

' निकाय निगम अथवा एक फर्म' (body corporate or a firm) के बाद इस 'उपखण्ड में उल्लिखित घोषणा भी की जानी चाहिए' (the declaration referred to in this sub-clause shall also be made by" जोड़ दिये जाने चाहिए ।

(दो) पंक्ति 10,—

'घोषणा की जानी चाहिए' "shall make a declaration" के शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 14,—

(एक) पंक्ति 19 और 20 हटा दी जायें ।

(दो) पंक्ति 21 में ब्रेक्टों (Brackets) तथा 'नाबालिग के अतिरिक्त' (other than a minor) के शब्द हटा दिये जायें ।

(तीन) पंक्ति 21 में (ii) के स्थान पर (i) रख दिया जाये ।

(चार) पंक्ति 23 में (iii) के स्थान पर (ii) कर दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

All other amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

खन्ड 17 से 26 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 17 to 26 were added to the Bill.

खन्ड 27

Clause 27

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 65 प्रस्तुत करता हूँ। प्रश्न यह है कि यह किस हद तक व्यवहार्य है। यदि कारीगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दण्ड दिया जाना चाहिये न कि व्यापारी को।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं संशोधन संख्या 77 प्रस्तुत करती हूँ। मैंने परिचलित किये गये संशोधन में कुछ परिवर्तन कर दिया है। पंक्ति 29 के स्थान पर पंक्ति 11 होनी चाहिये।

प्रशासक को मनमानी शक्तियां दी गई है। प्रशासक को इस बात का निर्णय करने की शक्ति दी गई है कि किसी क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुये उसमें लाइसैन्सशुदा कितनी दुकानें हों। इस मामले में कुछ त्रुटि है। हो सकता है कि लोग अपने क्षेत्र के बाहर के सुनारों से अपना सामान बनायें। इस प्रकार सुनारों को न केवल अपने क्षेत्र से बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी आर्डर मिलते हैं। मैंने सुझाव दिया है कि केवल उसी व्यक्ति को लाइसेन्स से वन्चित किया जाना चाहिये जिसने स्वर्ण नियन्त्रण आदेश का कोई गम्भीर उल्लंघन किया हो।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 136 प्रस्तुत करता हूँ। मेरा सुझाव है कि इस अधिनियम को उन्हीं क्षेत्रों में और ऐसे समय पर लागू किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने की आवश्यकता हो। वित्त मन्त्री हमारे संशोधनों की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री मोरार जी देसाई : जहां तक श्री लोबो प्रभु द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन हैं मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ कि अधिनियम में पहले ही इसकी व्यवस्था है। यह व्यापारियों से सम्बन्धित है और उनसे सख्ती से निपटना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो स्वर्ण नियन्त्रण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। श्रीमती सुचेत ाकृपालानी के संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 65, 77 **और** 136 **मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

The amendment Nos. 65,77 and 136 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खन्ड 27 **विधेयक में जोड़ दिया गया**

Clause 27 was added to the Bill.

खन्ड 28 **विधेयक में जोड़ दिया गया**

Clause 28 was added to the Bill.

खन्ड 29 **(व्यापारी जो कुछ बनाये)**

Clause 29 **(what a dealar may manufacture)**

श्री स० मो० बनर्जी : इस खण्ड के अनुसार सुनारों को अपने ग्राहकों के लिये आभूषण बनाने के लिए शुद्ध (प्राइमरी) सोना खरीदने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जानना

चाहता हूँ कि क्या सुनारों को शामिल करना सम्भव है ताकि वे भी आभूषणों के निर्माण के लिये शुद्ध (प्राइमरी) सोना रख सके।

श्री मोरार जी देसाई : सुनार कुछ निर्धारित हद तक सोना रख सकते हैं। उससे अधिक नहीं। यदि वे व्यापारी का लाइसैंस लेना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं परन्तु वे सुनार नहीं रह सकते।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खन्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 29 was added to the Bill.

खन्ड 30

Shri Vishwa Nath Pandey : Sir, I move my amendment No. 78. It provides that nothing in this section shall apply to any article or ornament on which, owing to its nature or smallness it is not possible to put such a stamp. But it does not provide the size of ornaments on which such stamps will not be put. This should be provided in the clause.

श्री मोरार जी देसाई : उस उपबन्ध में यह व्यवस्था है कि केवल ऐसे आभूषणों पर छूट होगी जिनके छोटे होने के कारण उन पर मुहर नहीं लग सकती।

श्री के० एम० अब्राहम : (कोट्टयम) : इस उपबन्ध के अन्तर्गत केवल सोने पर मुहर लगाई जायेगी, टांके पर नहीं। इससे उपभोक्ताओं को टांके के कारण हानि होगी।

श्री मोरार जी देसाई : टांके पर पृथक मुहर कैसे लगाई जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 78 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खन्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 30 was added to the Bill.

खण्ड 31

श्री वासुदेवन नायर : मैं संशोधन संख्या 5, 6 तथा 7 प्रस्तुत करता हूँ। मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री ने स्वर्णकारों को कुछ रियायतें देने से इन्कार कर दिया है जबकि वही रियायतें व्यापारियों को दी गई हैं। हमें कम से कम स्वर्णकारों को व्यापारियों के समान मानना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : स्वर्णकार व्यापारी नहीं हैं और वे एक दूसरे के समान नहीं हैं। मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खन्ड 31 पर संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खन्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 31 was added to the Bill.

खन्ड 32

Shri Beni Shankar Sharma : I move my amendment No 203. Those goldsmiths who work independently are allowed to keep only four hundred grams of gold with them. That quantum is too less. Those goldsmiths who employ 10 workers are allowed to keep 500 grams. This is still less. I, therefore, expect the minister to accept the amendment.

श्री मोरार जी देसाई : सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि जहां आवश्यक हो यह सीमा बढ़ा सकती है। मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 202 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खन्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 32 was added to the Bill.

खन्ड 33

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खण्ड 33 विधेयक का अग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खन्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 33 was added to the Bill.

खण्ड 34—(लाइसेंस प्राप्त व्यापारी) अथवा प्रमाणीकृत स्वर्णकार द्वारा सोने का विक्रय अथवा दिया जाना।)

श्री के० एम० अब्राहम (कोटयम्म) : मैं संशोधन संख्या 238 प्रस्तुत करता हूँ। यह संशोधन प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ सौदा करना बन्द होना चाहिये, विशेष रूप से अन्तर्राज्यीय व्यापारियों के बीच सौदेबाजी बन्द होनी चाहिए। सोने का तस्कर व्यापार बन्द करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : स्वर्णकार संघ ने पहले भी यह बात मंत्री के ध्यान में लाई है कि कुछ लोग, जो वास्तव में व्यापारी न होकर तस्कर व्यापारी होते हैं, दो अथवा तीन किलो के आभूषण बना कर अन्य राज्यों को भेजते हैं। यह तस्कर व्यापार का एक अन्य तरीका है।

श्री मोरारजी देसाई : इस मामले में अन्तर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। अतः मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 238 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 34 was added to the Bill.

खण्ड 35 से 38 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 35 to 38 were added to the Bill.

खण्ड 39—(प्रमाणीकृत स्वर्णकार)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैंने यह आपत्ति पहले भी उठाई थी कि खण्ड 39 तथा आठवाँ अध्याय असंवैधानिक है और इस विधेयक मे शामिल नही किया जाना चाहिए। मेरी पहली आपत्ति यह है कि स्वर्णकारों के व्यापार अथवा वृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने वाला उपबन्ध इस विधेयक की क्षमता के बाहर है। माननीय मंत्री सोने पर नियन्त्रण करने के नाम पर स्वर्णकारों के उद्योग को नियन्त्रित कर रहे हैं तथा उसे सीमित कर रहे हैं और उसका गला घोंट रहे हैं। इसीलिए मैंने संशोधन संख्या 67 प्रस्तुत किया है।

केवल दो वर्गों के स्वर्णकार ही प्रमाणीकृत स्वर्णकार बनने के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं परन्तु उन लोगों का क्या होगा जो बाद में व्यस्क होंगे अथवा जो सहायता नही कर रहे हैं अथवा उनके ऐसे बच्चों का क्या होगा जो व्यस्क नहीं होते हैं अथवा जो उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। 20 अथवा 30 वर्षों के पश्चात् जब 1, जनवरी 1969 को कार्य कर रहे सभी स्वर्णकारों की मृत्यु हो जायेगी, तो स्वर्णकारों का कोई वर्ग नहीं रह जायेगा।

यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन भी करता है जिसमें यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को कोई वृत्ति अथवा व्यवसाय अपनाने का मूल अधिकार होगा। अब माननीय वित्त मंत्री ऐसा विधान ला रहे हैं जो स्वर्णकारों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। माननीय मन्त्री यदि चाहें तो स्वर्णकारों की अर्हतायें निर्धारित कर सकते हैं तथा उनके लिए प्रशिक्षण की शर्त लगा सकते हैं। इससे स्वर्णकारों के पुत्र भी इस व्यवसाय को अपना सकेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जिस दिन यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, उस दिन हमने खण्ड 39 पर मूल आपत्ति उठाई थी। हमारी आपत्ति यह थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दिये गये मूल अधिकारों के विरुद्ध है। सभी स्वर्णकार पिछड़े वर्गों के होते हैं। प्रत्येक राज्य में उन्हें कुछ सुविधायें तथा अधिकार मिले हुए हैं यद्यपि शायद यह रियायतें तथा सुविधायें उतनी न हों जितनी कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को दी गई हैं। यह विधेयक कुछ व्यक्तियों को स्वर्णकार के तौर पर प्रमाणपत्र देना चाहता है। अतः स्वर्णकारों के पुत्रों तथा पौत्रों के भाग्य तथा भविष्य का निर्णय स्वर्ण नियंत्रक करेगा। इस सभा को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा महान्यायकारी को बुलाकर उसका स्पष्टीकरण सुनने का प्रत्येक अधिकार है। यदि वित्त मन्त्री इससे सहमत नहीं हैं, तो क्या वह इसे उच्चतम न्यायालय को उसकी राय जानने के लिये भेज सकते हैं। यदि वे ऐसा करें तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

मैं संशोधन संख्या 260 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पी० के० वासुदेवन नायर : मैं संशोधन संख्या 261 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सूरज भान : मैं संशोधन संख्या 9 से 17 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं संशोधन संख्या 67 और 70 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 229 से 231 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वेणी शकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 204,205 तथा 228 प्रस्तुत करता हूँ।

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

संशोधन संख्या 255,

पृष्ठ 25, पंक्ति 31 के पश्चात जोड़ो,

"(क) वह व्यक्ति जो भारत सुरक्षा नियम 1962 के भाग–XII–क के लागू होने से तुरन्त एक वर्ष पहले से स्वर्णकारी का कार्य कर रहा था" ;

संशोधन संख्या 256,

पृष्ठ 25, पंक्ति 32, में

"क" के स्थान पर "ख" रखा जाये

संशोधन संख्या 257, पृष्ठ 25, पंक्ति 36, में

"ख" के स्थान पर "ग" रखो।

संशोधन संख्या 258 में पृष्ठ 26 पंक्ति 6 में

"ग" के स्थान पर "घ" रखो।

संशोधन संख्या 259, पृष्ठ 26, पंक्ति 8 में

"घ" के स्थान पर "ङ" रखो।

श्री श्रीचन्द गोयल (चन्डीगढ़) : महोदय, मैं आपका ध्यान खण्ड 39 के उप खण्ड (ग) तथा (घ) की ओर दिलाना चाहता हूँ। वहां यह शर्त लगाई है कि एक स्वर्णकार को कलाकार का पेशा छोड़ना होगा।

महोदय, गांवों के अन्दर स्वर्णकारों को अपना गुजारा चलाने के लिये अन्य कार्य भी करने होते हैं। इस कारण इस प्रकार की शर्त उनके बारे में लगाना उचित नहीं है।

इसी प्रकार प्रशासक को बहुत अधिकार दे दिये गये हैं। यह सारा कार्य प्रशासक के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु (उडीपी) : महोदय प्रशासक को बहुत अधिकार दे दिये गये हैं। वह घोषणा कर सकता है कि किस श्रेणी के कर्मचारियों को कारोबार करने का अधिकार है। अच्छा होगा यदि यह अधिकार उसे न दिये जायें।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय, मैं इस बात को महत्व नहीं देता कि सोने की तस्करी रोकी जायेगी अथवा नहीं। चाहे यह कुछ भी करें, वह तो जारी रहेगी।

इस खण्ड का उद्देश्य स्वर्णकारों को समाप्त करना है। उप प्रधान मन्त्री के आंकड़ों के अनुसार वे पहले 3 लाख स्वर्णकार थे। अब वे 2 लाख रह गये हैं। स्वर्णकारों के लड़के जिनकी आयु अब 7 से 15 वर्ष तक है वे तो इस विधेयक के अनुसार स्वर्णकार बन नहीं सकेंगे।

इसी प्रकार ऋण देने की बात है। यह उपबन्ध ठीक नहीं है कि स्वर्णकार 200 रु० प्रति मास दें। आप उनकी अदायगी की राशि 25 रु० प्रति मास रखें तो ठीक होगा और वे तब तक देते रहेंगे जब तक उस राशि का पूरी तरह भुगतान न होगा।

प्रशासक को बहुत विस्तृत अधिकार दे दिये हैं। इससे वह स्वर्णकारों को तंग कर सकता है। इस से तो आप विधेयक का नाम स्वर्णकार समाप्ति विधेयक रख दीजिये क्योंकि वही आपकी इच्छा दिखाई देती है।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टयम) : महोदय, मैंने अपने संशोधन संख्या 239 में प्रमाणपत्र के रद्द किये जाने के बारे में कहा है।

मैंने अपने संशोधन संख्या 240 में प्रशासक के अधिकारों को कम करने के बारे में कहा है। वह जो भी नियम बनावे उन्हें सभा-पटल पर रखा जावे।

मैंने संशोधन संख्या 241 तथा 242 भी प्रस्तुत किये हैं। अपने संशोधन संख्या 243 में मैंने कहा है कि सरकार ऋणों की वापसी के बारे में 25 रु० अथवा 30 रु० प्रतिमास की राशि रख दे तो अच्छा है। इसके बारे में मैं श्री पी० राममूर्ति से सहमत हूँ।

संशोधन संख्या 244 में मैंने कहा है कि "10 रु०" के स्थान पर "एक रु०" रख दिया जाये।

Shri Beni Shankar Sharma (Banka) : Sir, I agree with Shri Mishra about the constitutional complications which he has raised.

We mostly talk about the casteless and classless society. But from this Bill it appears that the government is making the castes more rigid and stable. Only the son of a goldsmith can be goldsmith and not others.

Again I wanted that the words "public interest" should not occur in line 10 of page 26.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

According to explanation in sub-clause (4) no person can be given a license who has worked as a labourer with a goldsmith.

In sub-clause (6) there is a provision that the Administrator will ask for the antecedents to judge the suitability of the person whom the certificate would be issued. I cannot understand why this is necessary.

The amount prescribed for licence certificate fee in sub-clause (5) is much. It should be only Rs. 2/.

If the hon. minister accepts my amendments some of the inconsistencies in the Bill would be removed.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, clause 39 is most dangerous. The action for which this Bill has been brought would not be fulfilled. The restrictions put under this clause are against the provisions of the constitution.

No person who is not assisting the goldsmith can become a goldsmith, though he may be the son of a goldsmith.

Secondly there is a provision in the Bill that a person who cannot repay his loan, his licence would be caneelled. Though I have no sympathy with a person who connot repay his loan but I think the punishment is too much.

Then an attempt has been made to wipe out the goldsmiths as a class as there is a provision that a goldsmith cannot hire more than one labourer.

The hon. minister wants to stop smuggling of gold but he would not succeed in this. He should fix some standard in this connection.

Another provision is that a labourer who assists a goldsmith would not be given a licence. Such restrictions should end as these are against the provisions of the constitution.

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : महोदय मैंने खण्ड 30 पर संशोधन संख्या 9 से 17 तथा संशोधन संख्या 266 प्रस्तुत किया है ।

आप स्वर्णकारों पर जायज निमन्त्रण तो लगा सकते हैं । मेरी राय यह है कि आप श्री बनर्जी की बात मान जायें और भारत के एटार्नी जनरल को बुलायें ताकि वह अपनी राय प्रकट कर सकें । अन्यथा आप इसे उच्चतम न्यायालय के सामने भेज दें ताकि वह अपनी राय दे सके ।

आपको चाहिये कि स्वर्णकारों को इतनी कठिन सजा न दें । उनमें से बहुत को जेल भेज दिया गया था ।

क्या यह उचित है कि अब उन से अपना पेशा बदलने के लिये कहा जाये । क्या वित्तमंत्री स्वयं अपना इस समय पेशा बदलने को तैयार हैं । यदि आप उनके लाइसेंस तथा प्रमाणपत्र रद्द कर देंगे तो वह बे रोजगार हो जायगे ।

यह ठीक नहीं है कि ऋण की अदायगी न होने पर उनके लाइसेंस रद्द किये जायें। उन से राशि की अदायगी एकदम करने के लिये कहना भी उचित नहीं है। उनसे कहा जाये कि वह किस्तों में यह राशि दें।

प्रशासक को चाहिये कि उन्हें एक दम प्रमाणपत्र जारी कर दें। अपना अधिकार उपयोग करने का प्रशासक के लिये ठीक नहीं है। उच्चतम न्यायालय का मत जानने की मेरी बात स्वीकार कर लेनी चाहिये, अन्यथा इसमें आगे और कठिनाई होगी।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हो गई।

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।** MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The strike is going on in the newspapers for the last one month. Now some Newspapers have declared lock out.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला सुबह उठाया गया था।

Shri Kanwar Lal Gupta : We gave the Calling Attention Notice also but nothing has come out so far. The hon. Minister has given assurance in this House that he will find out some way for settlement. He has also stated that he will bring some legislation in the House if the owners did not agree on some solution. But nothing has happened so far and the strike is continuing. Payment of pay has also been stopped to non-journalists as lock out has been declared in some newspapers. I would request the hon. Labour Minister to give a statement in the House. I would also like to know when the Government is bringing a Bill in the House ? Journalists and non-journalists are not getting their salaries.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह समय इस मामले को उठाने का नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Many owners are declaring lock out in their newspapes. I would like to know whether Government has no duty in this respect.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उन्होंने किसी नियम का उल्लेख नहीं किया जिसके अन्तर्गत इस मामले को उठाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत उनको यह मामला उठाने की अनुमति दी जाये।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : I want to make a submission. Shri Ranga requested you in the morning to ask the hon. Minister to make a statement in regard to the developments of Czechoslovakia.

डा० राम सुभग सिंह : उसमें कोई चीज नहीं है।

श्री कामेश्वर सिंह : सविस सेना के मुख्य सेनापति ने कहा है कि रुमानिया पर भी रूस के आक्रमण का खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो सरकार समय-समय पर वक्तव्य देती रहेगी ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति (कडलूर) : सरकार नहीं चाहती कि लोगों को यहां होने वाली चर्चा का पता लगे । अत: वह नहीं चाहती कि समाचार पत्रों की हड़ताल समाप्त हो । इस बारे में सरकार का कोई षडयंत्र है ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसा लगता है कि उन्होंने सभा का समय लेने का षडयंत्र रचा रखा है जिससे कि सभा अपना कार्य न कर सके ।

श्री वी० कृष्णामूर्ति : यदि सरकार हड़ताल को समाप्त करना चाहे तो वह आसानी से ऐसा कर सकती है । परन्तु वह संसद के सत्र के दौरान ऐसा करने को तैयार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 39 पर चर्चा करेंगे ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : अपने स्थान पर खड़े होते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको बाद में अवसर प्रदान कर सकता हूँ ।

Shri Suraj Bhan : A certificate of the goldsmith can be cancelled under clause 39 (2). I fail to understand the reasons for this discriminatory treatment to the golsdmiths. The administrator has been given arbitrary powers under clause 39 (2). New persons should also be allowed in this profession.

Further there is a provision that if the loan is not repaid within two years the certificate of the concerned person will be cancelled. In this respect I want to suggest that five hundred rupees may be remitted and for payment of the remaining amount easy instalments may be made and each instalment should not exceed twenty five rupees. Further I would suggest that certificate fee should be reduced to Re. 1/- only.

श्री मोरारजी देसाई : यह कहा गया है कि सरकार सुनारों को समाप्त करना चाहती है । परन्तु ऐसा नहीं है । यदि मैं सोने की तस्करी को पूर्णतया समाप्त करने में भी सफल हो जाता हूँ फिर भी 150 से 200 करोड़ रुपये आभूषण बाजार में रहेंगे जोकि दोबारा बनने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों हेतु बाजार में आते रहेंगे । अत: सुनारों को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

इस समय सुनारों की संख्या 2½ लाख है और नये उपबन्धों के तथा नई रियायतों के फलस्वरूप बढ़कर 5 लाख हो जायगी । यदि कोई इस व्यवसाय को अपनाना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है । अत: सुनारों की संख्या कम होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत सुनारों के पुत्र को इस व्यवसाय में आने की अनुमति नहीं दी जा रही है । परन्तु इसके लिए उप-खण्ड (घ) है और यदि आवश्यक हुआ तो हम ऐसे लोगों को व्यवसाय में लाने के लिए उपबन्ध करेंगे । मैं सुनारों की संख्या कम करना अथवा उनको समाप्त करना नहीं चाहता ।

प्रशासक इस प्रकार के नियम नहीं बना सकता और न ही ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो इस अधिनियम के असंगत हों ।

संसद ने उद्योग विकास अधिनियम की प्रथम अनुसूची के साथ पढ़ी जाने वाली धारा (2) के अन्तर्गत यह घोषणा की हुई है कि केन्द्रीय सरकार लोक हित में सोने तथा चाँदी सहित नान

फेरस धातुओं के उद्योग पर नियंत्रण कर सकती है। अतः संसद प्रस्तावित कानून बना सकती है। समवर्ती सूची के मद 33 के अन्तर्गत संसद किसी भी उद्योग के उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण पर नियंत्रण के बारे में कानून बना सकती है यदि संसद द्वारा कानून बनाकर ऐसा करना लोकहित में घोषित किया गया हो। अतः सोने तथा चाँदी के उद्योग के बारे में संसद ऐसा कानून बनाने में पूर्णतया सक्षम है।

विधेयक में ऐसा भी उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत प्रशासक को सोने के मूल्य नियमित करने की शक्ति भी दी गई है। यह विषय समवर्ती सूची के मद 34 से सम्बन्धित है।

विधेयक में ऋण देने सम्बन्धी तथा ऋण देने वालों के बारे में कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है। परन्तु विधेयक में इस तरह के उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति सोना आदि गिरवी रखकर ऋण नहीं ले सकता। यह उचित प्रतिबन्ध हैं और संविधान के अनुच्छेद 19 के खण्ड (5) के अन्तर्गत आते हैं।

इस विधेयक में लाइसैंस प्राप्त व्यापारियों तथा शोधकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा शुद्ध (प्राईमरी) सोना रखने की मनाही की गई है। इन उपबन्धों द्वारा भी उचित प्रतिबन्ध लगाये गये हैं और सरकार को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) के अन्तर्गत सरकार को ऐसा करने की शक्ति है।

इन उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिए भी विधेयक में व्यवस्था की गई है। संसद समवर्ती सूची के मद 93 के अन्तर्गत ऐसा करने में सक्षम है।

विधेयक में कुछ सीमा तक सोना रखने के लिए घोषणा न करने की छूट भी दी गई है। परन्तु यह छूट लाइसैंस प्राप्त व्यापारी अथवा शोधक पर लागू नहीं होती। एक साधारण नागरिक तथा व्यापारी में यह भेदभाव विधेयक में निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है। परन्तु विधेयक के अन्तर्गत एक ही वर्ग के लोगों अर्थात् व्यापारी तथा शोधक में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अतः इस उपबन्ध को संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

संघ सूची के मद 52 और 93 और समवर्ती सूची के मद 33 और 34 जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू है अतः प्रस्तावित विधेयक को जम्मू और काश्मीर राज्य पर लागू करने में कोई कठिनाई नहीं है।

सरकार की यह निश्चित राय है कि इस मामले में संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः मैं सरकारी संशोधनों के अतिरिक्त शेष सभी संशोधनों का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधनों को छोड़ शेष सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : एक एक संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी एक संशोधन को पृथक से रखना चाहें तो मैं उसकी अनुमति दे दूंगा परन्तु यदि सभी संशोधनों को अलग-अलग मतदान के लिए रखा गया तो एक घंटे से अधिक समय लग जायगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरे संशोधन संख्या 67 को विशेषरूप से रखा जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं चाहता हूँ कि मेरे संशोधन संख्या 260 पर मत-विभाजन किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 67 मतदान के लिए रखी गई तथा अस्वीकृत हुई ।

The amendment No. 67 was put and negatived.

श्री स० मो० बनर्जी : महान्यायवादी को 'युक्तियुक्त प्रतिबन्धों' पर विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया जाये ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : यह खण्ड महत्वपूर्ण है अतः हम भी चाहते हैं कि इस पर मतदान हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार को सिफारिश करती है कि युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के प्रश्न सहित खण्ड 39 के बारे में कुछ संवैधानिक बातों के स्पष्टीकरण हेतु भारत के महान्याय-वादी को सभा को सम्बोधित करने के लिए बुलाया जाये ।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 39; विपक्ष में 68

Ayes 39; Noes 68

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सरकारी संशोधनों को छोड़कर शेष सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All other amendments excluding the Governments amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकारी संशोधन संख्या 255, 256, 257, 258 और 259 सभा में मतदान के किए रखता हूँ :

प्रश्न यह है :

255 पृष्ठ 25

पंक्ति 31 के बाद

"(क) भारत रक्षा नियम, 1962 के भाग XII–क के लागू होने के तुरन्त पूर्व एक वर्ष से अधिक समय में जो व्यक्ति सुनार के रूप में कार्य कर रहा था ।"

(a person who had been carrying on business as a goldsmith for more than year immediately before the commencement of Part XII-A of the Defence of India Rules, 1962).

के शब्द जोड़ दिये जायें ।

256. पृष्ठ 25

पंक्ति 32 में 'क' (a) के स्थान पर 'ख' (b) शब्द रख दिया जाये ।

257. पृष्ठ 25

पंक्ति 36

में 'ख' (b) के स्थान पर 'ग' (c) शब्द रख दिया जाये ।

258. पृष्ठ 26

पंक्ति 6

में 'ग' (c) के स्थान पर 'घ' (d) शब्द रख दिया जाये ।

259. पृष्ठ 26

पंक्ति 8

में 'घ' (d) के स्थान पर 'ङ' (e) शब्द रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 39 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	79	विपक्ष में	43
Ayes	79	Noes	43

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : हम पहले ही निर्धारित समय से एक घंटा अधिक ले चुके हैं । अत: मैं सभी खण्डों को एक साथ रखता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह आपका अन्तिम निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हाँ । मैं 40 से 117 तक सभी खण्डों को एक साथ रखूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम आप के इस निर्णय के विरुद्ध सभा से उठकर जाना चाहते हैं । यदि आप हमें विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं देना चाहते तो यहाँ बैठने का क्या लाभ है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मंत्री महोदय को कहने दीजिए कि उन्होंने सभी संशोधनों पर विचार किया है और वह किसी को स्वीकार नहीं करते ।

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त समिति में आपको पर्याप्त समय मिला था, मेरा विचार है कि मंत्री महोदय ने इन पर अवश्य विचार किया होगा क्योंकि ये बहुत समय तक उनके समक्ष रही हैं।

श्री मोरार जी देसाई : मैंने सभी संशोधनों पर विचार किया है परन्तु मैं उनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 40 से 117 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 40 से 117 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 40 to 117 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री श्रीनिवास मिश्र : सर्वप्रथम संशोधनों को मतदान के लिए रखा जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें समय की कमी के कारण अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई हालांकि हम सभा में उपस्थित थे। अत: हमें संशोधन प्रस्तुत करने का समय दिया जा सकता था । उसके पश्चात् मंत्री महोदय कह सकते थे कि वे इनमें से किसी संशोधन को भी स्वीकार नहीं करते । क्या संशोधनों को मतदान के लिए रखे बिना खण्डों पर मतदान किया जा सकता है ।

श्री मोरार जी देसाई : मैं आप का ध्यान नियम 291 की ओर दिलाना चाहता हूँ । यह इस प्रकार है ।

"अध्यक्ष विधेयक के किसी विशेष प्रक्रम को पूरा करने के लिए समय के बँटवारे के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक के उस प्रक्रम के सम्बन्ध में सभी अवशिष्ट विषयों को निबटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा ।"

श्री श्रीनिवास मिश्र : क्या सभा के समक्ष यह प्रश्न नहीं है कि संशोधनों को स्वीकार किया जाये अथवा नहीं ?

श्री पी० राममूर्ति : तर्क करने में समय का अपव्यय करने के बजाय उपाध्यक्ष महोदय केवल इतना कह सकते हैं कि मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया बिलकुल स्पष्ट है । वित्त मंत्री ने पहले ही कहा है कि जिन संशोधनों के बारे में सूचनाएँ दी गयी थीं उन पर गम्भीरता से विचार किया गया है । विभिन्न खण्डों के संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : यह हमारा अधिकार है । किसी खण्ड पर मतदान कराने से पूर्व उस खण्ड सम्बन्धी संशोधनों पर मतदान किया जाना चाहिए । कम से कम यह बात रिकार्ड की जानी चाहिए कि सदस्यों द्वारा सभी संशोधनों को प्रस्तुत किया गया तथा सभा द्वारा उनको रद्द कर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया है। यदि पहले आपत्ति उठाई जाती तो वैसे कर सकता था।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) आपने सदस्यों को इसका विरोध करने का अवसर दिये बिना ऐसा किया है। मेरे विचार में आपको उस मत विशेष को रद्द हुआ समझना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सम्भव नहीं है।

श्री मोरार जी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री वासुदेवन नायर : हम इसका विरोध करते हैं तथा सभा से उठकर जाते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : हमने संशोधन दिये थे परन्तु हमें उनको प्रस्तुत करने का भी अवसर नहीं दिया गया।

इसके पश्चात् श्री वासुदेवन नायर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये।

Shri Vasudevan Nair and some other Hon. Members then left the House.

श्री क० प्र० सिंह देव (ढैंकानाल) : स्वतंत्र पार्टी के संसदीय बोर्ड ने जनवरी 1963 में एक संकल्प द्वारा स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का विरोध किया था। सोने की तस्करी तथा जमाखोरी के लिए सरकार की मुद्रास्फीति की नीतियों को ही दोषी ठहराया गया था। इस संकल्प के पश्चात् भी सरकार को विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा बार-बार परामर्श दिया गया है परन्तु वित्त मन्त्री पर उसका कुछ प्रभाव नहीं हुआ उनके विचार में जो कुछ वह करते हैं वह ठीक है शेष सब गलत।

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक का एक उद्देश्य सोने की तस्करी को रोकना था। यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

दूसरा उद्देश्य विदेशी मुद्रा के निकास को रोकना था। परन्तु यह विधेयक इसको भी रोकने में असफल रहा।

तीसरा उद्देश्य सोने के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। सोने के मूल्य अब भी निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। चौथा उद्देश्य छिपे सोने को निकालना था। परन्तु यह विधेयक इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है। इसके विपरीत इस रोजगार में लगे अनेक लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

अभी परसों ही वित्त मन्त्री ने कहा था कि 17 व्यक्तियों ने आत्महत्या की है। परन्तु ढैकानाल के स्वर्णकारों के प्रेजिडेंट ने एक संकल्प में दावा किया है कि 200 से अधिक व्यक्तियों ने आत्महत्या की है। आपकी अनुमति से मैं इस संकल्प को सभापटल पर रखना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री क० प्र० सिंह देव : जब कभी भी सरकार की नीतियाँ असफल होती हैं सरकार लोगों को बलिदान देने को कहती है। अब सरकार ग्रामीण जनता की 80 प्रतिशत जनसंख्या को अपनी मौलिक सुरक्षा तथा ग्रामीण ऋण पद्धति को छोड़ने के लिए कह रही है।

वित्त मन्त्री दावा करते हैं कि वह सब कुछ सुनारों के सहयोग से कर रहे हैं। वह यह भी कहते हैं कि विरोधी दल इसका अनुमोदन करें। दिल्ली सराफा संस्था तथा स्वर्णकार संघ ने अपने संकल्पों में इसका विरोध किया है और कहा है कि इससे लाइसैंस प्राप्त व्यापारियों के दिल में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। इन संकल्पों में यह भी कहा है कि इससे लाइसैंस प्राप्त व्यापारियों के निर्बाध रूप से व्यापार करने में बाधा पड़ी है और इससे बेरोजगारी बढ़ी है, इन संकल्पों में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि लाइसैंस प्राप्त व्यापारियों को, जो कि आयकर तथा बिक्री कर के रूप में भारी राशि दे रहे हैं, तस्कर व्यापारियों के समान कर दिया गया है।

क्या यह समाजवाद है ? सरकार तस्करी को तो रोक नहीं सकती परन्तु ईमानदार व्यापारियों तथा कारीगरों को तस्कर व्यापारी तथा गद्दार बना सकती है तथा उनको परेशान कर सकती है।

सरकार गत 21 वर्षों से देश में शिक्षा का प्रसार करने में असफल रही है और अब साधारण तथा इमानदार सुनारों को हिसाब-किताब रखने को कह रही है और यदि उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उनको परेशान किया जायेगा।

सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग पर लाइसैंस-परमिट-कोटा आदि का प्रचार कर नियंत्रण करना चाहती है और भ्रष्टाचार फैलाना चाहती है।

1966 में कांग्रेस के अध्यक्ष तथा प्रधान मन्त्री ने सुनारों को आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जिससे उनकी कठिनाइयों में वृद्धि हो। परन्तु अब इन आश्वासनों का उल्लंघन किया जा रहा है।

श्री रा० ठो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यह विधेयक कानून बनाने संबन्धी सिद्धांतों के ही विरुद्ध है।

इस विधेयक में 'सुनार' की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। केवल 'प्रमाणीकृत सुनार' की परिभाषा ही दी गई है। एक प्रमाणीकृत सुनार वह है जिसको अधिकारी मान्यता दें। यह कानून बनाने सम्बन्धी सिद्धांतों के ही विरुद्ध है।

खण्ड 39 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मेरी समझ में नहीं आया कि इसको विधेयक में शामिल करने के क्या कारण है। जिन लोगों का जन्म नहीं हुआ है और जिनकी आयु सोलह सत्रह अथवा अठारह वर्ष की नहीं हुई है उनको यह व्यापार अथवा उद्योग चलाने से रोक दिया गया है। जहां तक उप-खण्ड (घ) का सम्बन्ध है वह तभी लागू होती है जब कि किसी विशेष व्यक्ति से अन्याय किया गया हो। अन्यथा इस उप-खण्ड का कोई महत्व नहीं है। यदि हम उप-प्रधान मन्त्री द्वारा दी गई व्याख्या को स्वीकार करते हैं तो यह उप-खण्ड प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति पर नियंत्रण रखती है। यदि किसी अधिकारी को किसी व्यक्ति को सुनार के रूप में मान्यता देने अथवा न देने का अधिकार दिया जाता है तो इसका अर्थ यह है

कि वह जीवन के मूल अधिकार पर एक रोक है। इससे व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता पर भी रोक लगती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करने के लिए इनको बहुत विवेकजनक शक्तियां दी गई हैं।

यह व्यवसाय एक समुदाय तक ही सीमित है। वे लोग पीढ़ियों से यह व्यवसाय करते आ रहे हैं। वे लोग यह व्यवसाय अपने घरों, दुकानों तथा ग्रामों में करते हैं। परन्तु खण्ड 48 के अन्तर्गत वे लोग अब अपना व्यवसाय केवल लाइसैंस शुदा स्थानों पर ही कर सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी जाती है तो न्यायालय की शक्तियों को सीमित नहीं किया जा सकता। खण्ड 84 के अन्तर्गत पुनरीक्षण की तथा अपीलीय शक्तियाँ सरकार को दी गई हैं।

खण्ड 94 के अन्तर्गत अधिकारी की उन सभी शक्तियों को ले लिया गया है जिनसे की विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती थी। कोई भी अधिकारी ठोस साक्ष्य होने पर ही कोई कार्यवाही कर सकता है अन्यथा नहीं।

विधेयक का उद्देश्य प्रसंशनीय है परन्तु प्रश्न यह है कि इसको किस प्रकार सुनिश्चित किया जाना है।

समय का अभाव होने के कारण मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं इस विधेयक का इस अवस्था पर भी विरोध करता हूँ। इसका विरोध करने का एक कारण यह भी है कि मेरे दिल में यह सन्देह उत्पन्न हो रहा है कि वित्त मन्त्री के दिल में स्वर्ण नियन्त्रण की भावना उत्पन्न करने के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ क्योंकि 8 अप्रैल 1960 को मैंने एक पत्र में लिखा था कि देश में पर्याप्त सोना है और उसको राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अन्य बातों के अतिरिक्त मैंने यह सुझाव भी दिया था कि अधिकारियों को यह नहीं पूछना चाहिए कि लोगों के पास सोना कहाँ से आया और न ही लोगों पर धनकर तथा अन्य कर लगाये जाने चाहिए। उस समय प्रधान मंत्री ने मेरे प्रस्ताव रद्द कर दिये थे। परन्तु ठीक दो वर्ष और 9 महीने बाद उन्होंने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश कर दिया। लोगों को 62.50 पैसे के कृत्रिम मूल्य पर सोना देने को कहा गया जबकि सोने का बाजार भाव 150 रुपये था। अतः योजना असफल हो गई।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वर्ण बांड देकर उनसे सोना लेना था। अन्य उद्देश्य सोने के तस्कर व्यापार को रोकना तथा इसके मूल्य को कम कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के स्थान पर इससे लाखों लोगों को अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों सुनारों ने आत्महत्या की और लगभग 20 लाख लोग बेरोजगार हो गये थे।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश जिन उद्देश्यों हेतु लागू किया गया था वह इनको प्राप्त करने में असफल रहा है। अतः सरकार को चाहिए था कि इसको समाप्त कर देती परन्तु वह अब भी इस पर जोर दे रही है। स्वर्ण नियंत्रण विधेयक लाने का क्या लाभ है जब कि पिछले पाँच वर्षों के अनुभव यह है कि स्वर्ण के मूल्यों में कमी होने के बजाये इनमें वृद्धि हुई है। सोने के तस्कर व्यापार को रोका नहीं जा सका। सोने की तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर तैनात रक्षकों

को अधिक सतर्क किया जाना चाहिए था। परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। सुनारों द्वारा केवल 15-20 प्रतिशत सोने का ही प्रयोग किया जा रहा है। सरकार को जमाखोरों तथा चोर बाजार करने वालों से सोना निकालने के लिए उपाय करने चाहिए थे। परन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

विधेयक में सुनारों द्वारा परमिट अथवा लाइसैंस लिए जाने अथवा हिसाब-किताब रखने की जो व्यवस्था है इनसे सुनारों की कमर टूट जायेगी।

यह कहना बहुत आसान है कि सरकार इन लोगों को वैकल्पिक रोजगार देगी। देश में पहले ही बहुत से लोग बेरोजगार है। सरकार इनको ही रोजगार नहीं दे सकी है।

कांग्रेस दल के भी अनेक सदस्य भी इस विधेयक के विरुद्ध है। मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मन्त्री इस विधेयक को वापिस ले लें।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा की आलोचना के फलस्वरूप विधेयक में संशोधन किया गया है। बम्बई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में विधेयक को ढीला करने का निर्णय किया गया था। वित्त मन्त्री ने 14 केरट के आभूषण बनाने सम्बन्धी को समाप्त कर दिया था। संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि सुनार को सहायता के लिए एक कर्मचारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। प्रमाणीकृत सुनार द्वारा रखे जाने वाले सोने की मात्रा को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है, छः महीने का कारावास देने सम्बन्धी उपबन्ध को भी समाप्त कर दिया गया है। लोगों को सोना रखने-बेचने आदि की मनाही नहीं है। उन्हें अपने आभूषणों के बारे में घोषणा करना होगा यदि आभूषण एक सीमा से अधिक हैं। प्रत्येक परिवार लगभग 373 तोले सोना रख सकती है जिसका बाजार भाव 60,000 रुपये है।

स्वर्णकारों के प्रतिनिधियों से बात-चीत की गई थी। लोगों को पर्याप्त सुविधायें दी गई थी। स्वर्ण नियंत्रण विधेयक इतना ही स्वच्छ है जितना सोना।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन करूँगा कि यदि विधेयक में कोई त्रुटि है तो वह इसको दूर करें। वित्त मन्त्री महोदय ने सुनारों को और अधिक सुविधायें देने का वचन दिया था। मुझे आशा है वह अपने वचन को पूरा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : I support the Bill. First of all I would say that the lust for gold has increased in the public.

So for as smuggling is concerned it is there due to the negligence of the officials. Government should check the smuggling. Special watch should be kept on the officials.

So far as Clause 39 is concerned it should be used liberally. Minimum punishment should be given if one fails to submit the returns.

Shri Shrikru (Panjim) : Every day we are enacting new laws and preparing new schemes but all these have failed in achieving their targets.

It may also be pointed out that about 3 lakh goldsmiths have become jobless. But the real culprits are smugglars or corrupt officials. In view of this first of all Government

should see that the law when enacted is enforced properly. There is no use of a very good legislation when same is not enforced properly. I would suggest that an Anti-corruption Squad should be created which should watch strict enforcement of law so that if Government officials are found to be in collusion with the smugglars, they could be punished.

श्रीमती तारा सप्रे (बम्बई-पूर्वोत्तर) : स्वर्ण नियंत्रण के पीछे मुख्य सिद्धान्त यह है कि सोने के तस्कर व्यापार को रोका जाये और सोने के मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाये। यदि हमारे देश में सोने के मूल्य में कमी हो जाती है तो स्वभाविक रूप में ही तस्कर व्यापार तथा जमाखोरी कम हो जायेगी। परन्तु पिछले 20 वर्षों में हमने यह देखा है कि किसी भी वस्तु पर नियंत्रण लगाने से उसकी चोरबाजारी होने लगती है। अत: मूल्य नियंत्रण केवल उपहास मात्र रह गया है।

जब से स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश की घोषणा की गयी है तब से सोने के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। जहाँ तक सोने के प्रति मोह का सम्बन्ध है वह केवल सजावट मात्र के लिये नहीं बल्कि कई अन्य कारणों से है। माता-पिता अपनी पुत्री को सोने के आभूषण इसलिये देते हैं ताकि वे संकट के समय उसके काम में आयें। फिर इस अध्यादेश से तस्कर व्यापार बन्द भी तो नहीं हुआ है। तस्कर व्यापार को रोकने के लिये पत्तनों, समुद्र अथवा हवाई–अड्डों पर निगरानी रखना परमावश्यक है। कुछ बेइमान तथा बेशर्म अधिकारियों के कारण, जिन्होंने तस्कर व्यापारियों के साथ साठगाँठ की हुई है, स्वर्णकारों को सजा देना बिल्कुल अनुचित है। यह आशा करना बेकार है कि केवल बचाव की कार्यवाही से वर्तमान तस्कर व्यापार को न्यूनतम किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की ओर से उन्मुख नहीं होना चाहिये। आन्तरिक मूल्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बीच भारी अन्तर के कारण तस्कर व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक इन बुनियादी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक तस्कर व्यापार को रोकना बहुत कठिन है। कभी-कभी अथवा लगातार छापे मारने से केवल यही सिद्ध होता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है। यदि सरकार तस्कर व्यापारियों को सजा नहीं दे सकती तो कारीगरों के साथ सख्ती करना बेकार है।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : इस विधेयक को यदि वापिस नहीं लिया जाता तो उसमें केवल मात्र संशोधनों से न तस्कर व्यापार रोका जा सकता है और न सोने के प्रति जनता के मोह को ही समाप्त किया जा सकता है।

मंत्री महोदय का कहना है कि जनता को इस ढंग से शिक्षित किया जाना चाहिये कि सोने के प्रति उनका मोह न रहे। परन्तु उन्होंने मन्दिरों तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह जनता का सोने के प्रति मोह कम करने में सहायक नहीं होगा। मेरे विचार में धार्मिक संस्थाओं के सोने पर सरकार को अधिकार कर लेना चाहिये और उन्हें सम्बन्धित देवी-देवताओं के हिसाब में रखना चाहिये जिससे उसका प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिये किया जा सके। देवी-देवताओं की पूजा के लिये सोना अनिवार्य नहीं है। पूजा के लिये तो फूल भी काफी है और फिर यह सारी बातें भक्त की साधना पर निर्भर करती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने स्वर्णकारों को फिर से रोजगार दिलाने के लिये जितना धन खर्च किया है अब वह राज्य सरकारों को वहन करने के लिये कहा जा रहा है। यह बहुत अनुचित बात है। मंत्री महोदय को इस विषय पर फिर से विचार करना चाहिये। यदि वह यह धन-राशि राज्यों

को अनुदान के रूप में नहीं देना चाहते तो उन्हें एक और प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये। निर्धारित समय में वसूली करना बहुत कठिन है अतः स्वर्णकारों की स्थिति को ध्यान में रखकर मासिक वसूली की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। ऐसा करते हुए वसूली में अधिक समय लग जाना स्वभाविक ही है। यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य सरकार इस धनराशि के भुगतान तक उस पर केन्द्रीय सरकार को ब्याज दे। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) ; Under Section 39 of the Gold Control Bill wide powers have been given to the Gold Control Officer. The artisans are supposed to obtain a certificate and they are likely to be harassed by the concerned officer. It would be the discretion of the Inspector to issue a certificate or not and it would certainly lead to corruption. I would suggest that some relaxation should be given to the goldsmiths under this clause and Government should see that they are not harassed. There is no need of licence for the artisans as this Bill is meant for big businessmen.

There is a provision in the Bill that in case a goldsmith does not repay his loan within a period of two years, his licence would be confiscated. The time for the repayment of loan is too short and I, therefore suggest that the goldsmith should be allowed to repay his loan within five years as in the case of farmers.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There cannot be two opinions about the purpose of this Bill. But the point is whether the purpose for which this Bill was introduced here has been achieved or not ? If it has failed to achieve its objective and lakhs of people have become jobless then certainly it is very bad thing. It is understood that about 200 people have committed suicide but even then Government is adamant in getting this Bill passed.

I want to know whether any committee to assess the achievement of the objective of this Bill has been formed ; if so, the report thereof ? In case no committee has been set up so far then it should be done forthwith and if this committee reports that the Bill has failed to achieve this objective then the hon'ble Minister should withdraw this Bill. I would like to know whether gold is sold to the doctors and Vaids at black market rate and if not, the Government should contradict this report.

I am of the opinion that instead of imposing controls, Government should educate the minds of the people that they should not have any lure for gold. Government has not chalked out any programme for this purpose. I would suggest that a Standing Committee should be set up, which should go into the difficulties of goldsmiths. If the hon'ble Minister has full faith in the democracy then the voice of goldsmiths must be heard.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : इस विधेयक की तीसरी पढ़त में जो तर्क दिये गये हैं उनमें कोई नवीनता नहीं है। केवल यह कह देना कि मैं बहुत कठोर हूँ, उससे कोई लाभ नहीं होगा।

खण्ड 94 में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि कोई अधिकारी अपने प्राधिकार का दुरुपयोग न कर सके। इस खन्ड पर भी आपत्ति की गयी है जो बिल्कुल अनुचित प्रतीत होती है। फिर खण्ड 96 पर भी आपत्ति की गयी है जिसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई गलत सूचना देता है जिससे गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जायेगी। यह बिल्कुल उपयुक्त उपबन्ध है और इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

यह कहा गया है कि मैं नियंत्रण में विश्वास रखता हूँ। विश्व में ऐसी कौन-सी सरकार है जो किसी न किसी रूप में नियंत्रण न रखती हो। यह कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य तो

ठीक है परन्तु इस कानून को क्रियान्वित करने का ढंग ठीक नहीं है। ढंग या तरीके के बारे में मतभेद हो सकता है। अनुभव के आधार पर ये तरीके बदले जायेंगे परन्तु ये परिवर्तन कठोरता की दिशा में होंगे न कि नम्रता की ओर। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी भी ईमानदार स्वर्णकार अथवा व्यापारी अथवा शोधक को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाना चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is there any achivement or not and whether any committee has been set up to assess the same?

श्री मोरारजी देसाई : यह सम्भव नहीं है। कुछ वर्ष तक इस कानून को लागू रखने के बाद ही हम किसी ठोस परिणाम पर पहुँच सकते हैं। मैं इस प्रकार की समितियां बनाने में विश्वास नहीं रखता। मुझे पता है कि कुछ समय बाद यही हमारे मित्र इस कानून को कठोर बनाने के लिये मुझे कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूँ प्रश्न यह है.....

श्री कंवर लाल गुप्त : हम सभा से बाहर जाना चाहते हैं। यह काला और जनता विरोधी विधेयक है, अतः हम मतदान में भाग नहीं लेना चाहते।

श्री कंडप्पन : मैं भी सभा से बाहर जा रहा हूँ।

श्री कंवर लाल गुप्त, श्री कंडप्पन तथा कुछ अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये।

Shri Kanwar Lal Gupta, Shri S. Kondappan and some other members then left the House

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बिहार आयव्ययक
BIHAR BUDGET

सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब बिहार के बजट के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा होगी। इस सम्बन्ध में काफी कटौती प्रस्ताव रखे गये हैं। यदि सभा में उपस्थित सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो वे 15 मिनट के अन्दर अपनी पर्चियां भेज दें जिन पर कटौती प्रस्ताव का क्रम-संख्या लिखा हो।

[श्री रा० ठो० भण्डारे पीठासीन हुए
SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

Shri Yamuna Prasad Mandal (Samastipur) : Per capita income of Bihar is very low keeping in view the per capita income of other states. The economic condition of that state is very critical. As Central Government have taken over the administration of that state, it is now for them to remedy the situation.

There was a deficit of Rs. 26 crores in the budget of Bihar State and on the other

hand there is a cut of Rs. 5 crores in respect of Plan Projects. It has affected rural electrification in partiular. The Minister of Irrigation and Power, Dr. Rao had stated that about sixty thousand villages would be electrified by 1969 but in fact only five thousand villages could be electrified. A cut of Rs. 2·50 crores in the allocation of rural electrification for such a big state would only increase poverty in the state because tubewell would not get energy. Similarly a sum of Rs. 1.25 crores is being cut from the sum of Rs. 5 crores allocated for irrigation. It is also being planned to realise a loan of Rs. 375 lakhs. While taking these steps Government should think of poverty prevalent in that state. Central Government is aware of the unprecedented drought which affected almost the entire State and State Government had to bear a loss of about Rs. 400 crores. In view of this I would like the Government to frame a phased programme for the realisation of loan.

It may be stated that about ten years before water potential head regulator was constructed for water potential. An expenditure of Rs. 75 crores have been incurred on Kosi Barrage, Eastern Canal and Rajpur Canal. That water potential has not been used so far. I have also observed that State Government has not been paying proper attention towards this. Western Kosi Canal would irrigate about 50 thousand acres of land of Nepal in addition to two or three districts of Bihar. It would also irrigate 8 lakhs acre of fertile land used for sugar cane production in the Gangetic Plan of North Bihar. Hence the entire area would become prosperous. As a result of Western Kosi Canal there will be control over the rivers and threat of floods would also be removed.

The Bihar Government has done a commendable job by controlling Kosi river. But Flood Control Department should keep in their mind that in case Western Kosi Embankment is not strengthened, the amount spent on Kosi river would go waste and there will be huge loss.

The second big river is Ganga which divides the state into two parts. There should be a phased programme to control this river for the sake of safeguard against erosion of Ganga. It is feared that fertile land of Darbhanga, Monghyr and Purnea would be submerged in Ganga. When Government can give Rs. 6 crores to Kerala, they can certainly give financial assistance for the construction of Barua Dam, which would save large areas of fertile land.

Land labourers of Bihar have been demanding place to live in but no concrete steps have been taken to solve this problem. Government had passed a scheduled caste and Scheduled Tribes Homestead Land Act but the same has not been implemented. If these Harijan people are uprooted we, the farmers, have to face great difficutly. In view of this Survey Settlement Officers should be directed to implement the above said Act and help these people having lowest standard of living. If this is done, only then we can call it a welfare state. I want to suggest that until villages are electrified, or any other alternative arrangement for light is made, the villagers may be provided with kerosene oil because they have to work in darkness.

This state has continuously been neglected. I want to say that a high power committee should be appointed which should go into the causes of poverty in that state in spite of fertile land and water resources.

There is no small scale industry except Khadi in Bihar. I would therefore appeal that small scale industries should be set up in that case.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : It is very sad state of affairs that Bihar is a backward State although it is rich in its natural resources. The reason for their backwardness is quite clear that the people who were in charge of administration for the last 20 years have utilised the resources of the State for their selfish motives. There is sufficient

water available, the land is fertile and there are adequate mineral resources in Bihar. We have observed that Punjab has made sufficient progress and has supplied 13 lakh tons of foodgrains to other States. Similarly Bihar can also become a surplus State. My whole grouse is that those people who were incharge of administration could do a lot but they have not done any thing during last 20 years. Now in order to improve their lot financial assistance should be given for the development of agriculture. We should take some major irrigation projects to provide them irrigation facilities. Kosi and Gandak dams should be completed. Besides we should pay more attention to minor irrigation projects. Tube-wells, Persian Wheels and pumping sets should be installed in large number. These things are economical and dependable means of irrigation.

Last time when S.V.D. Government was formed maximum work to provide irrigation facilities was done by the then Government. It may be pointed out that per acre yield of sugarcane in Bihar is very low in comparisan to Madras and Maharashtra. The main reason for this is the scarcity of water in that State. As a result of less production of sugarcane, sugar factories are also being closed in that State. In view of this irrigation should be given first preference.

Although big industries have been set up in Bihar but there is dearth of small scale industries. I, therefore, want to suggest that Government should encourage setting up small scale industries which will provide jobs to the people of Bihar. It is understood that Gujarat Government have formulated a scheme to help their unemployed engineers in setting up small scale industries. Bihar can also work out a scheme on the same lines.

There is a great discontentment in minds of State Government employees because they are not getting dearness allowance at Central Government rates. I feel that there should not be any indiscrimination in the matter of allowances etc. Government should therefore take initiative and remove the discontentment of the State Government employees.

Bihar is a border State and communal feelings are high in that State. There is concentration of communal forces in the areas connected with our eastern border, and it can be proved harmful in the event of war or national emergency.

There are very poor people living in tribal areas of Bihar. Foreign missionaries have been converting their religion by giving them money and other temptations. Besides they are inculcating anti-national feelings in their minds. Government should, therefore, take steps to remove christian missionaries from these areas. Government should also enact a legislation to stall the conversions and check the disruptive tendencies.

At present there is economic crisis in Bihar. Patna Secretariat Ministerial Association has published a booklet in which some suggestions have been given in order to improve the economic condition of the State. The association is of the view that if those suggestions were implemented, there could be an increase of Rs. 100 crores in revenues of the State. Some more saving can also be affected. There is large scale tax-evasion in Bihar State which must be checked.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Bihar State has continuously been neglected. There are sufficient natural resources in that State but owing to poverty they could not be exploited. Because of lack of finance even tubewells could not be installed for irrigation purposes. There are certain public undertakings in Bihar but very few people of Bihar could find employment in those undertakings. The employment situation is deteriorating day by day. No one from Bihar is holding a high office. Some new factories have also been set up but even there local people are being ignored. Due to this attitude poverty is increasing in that State. Per capita income is very low and the result that even if we want to improve the situation, we cannot do so. There is a Gandak project but no work is being done. Government should provide funds to complete this project.

There is heavy tax burden on the people of State and at the same time there is large scale tax evasion also. Due to lack of irrigation facilities the production of sugarcane is very low and therefore sugar factories remain closed for most of the time.

There is great density of population in Bihar State. They have to go to other States in search of employment. Therefore more employment opportunities should be provided in the State.

Bihar has been the victim of natural calamities. They had to face serious drought. Government should take concrete steps to remedy the situation. They should provide additional funds for Gandak project.

Law and Order situation in Bihar is very bad. It is not possible for a gentleman to travel with his family members. Miscreants come to first class compartments without ticket. Government should deal with this situation with iron hand.

There is too much illiteracy in our State. Government should take measures to set up new small scale industries particularly in North Bihar. The people of that State should also be provided with funds for this purpose so that employment potential is increased.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : The Central Government could guide the people of State the method of dealing with the problems but it has become clear from the present budget that they have tried to confuse already bad situation of the State. If we examine this budget carefully we will come to know the real intentions of the Government. They are trying to realise land revenue and take back the loan from the poor people. There have been so many agitations for the remission of land revenue. Gandhiji was also of this view but Congress Government forgot all about it. They have started realising land revenue for the previous years as well.

Second thing is that Bihar Government had given some loans to the people at the time of famine and serious drought. Now that loan will be realised and people of the State will have to bear more burden instead of having any relief. They should have paid more attention to provide funds for the Kosi Canal. The Government has completely ignored the Canals.

In order to increase productivity of sugar mills, they should be nationalised. Ashok Paper Mill should also be taken over by the Government.

New industries should be set up in Bibar. Bihar State is rich in its mineral resources. There are large deposits of coal. A nuclear plant should also be installed there. Bihar has become a backward State because of policy of discrimination. Government should nationalise the mines as the mines alone can make the State financially sound.

Government should take strong measures to check smuggling on the border of Bihar. If all these measures are taken, Bihar can become a prosperous State

बिहार आय-व्ययक 1968-69 **में अनुदानों की माँगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।**

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
1	1	**श्री रामावतार शास्त्री**	जनता के अधिक गरीब वर्गों को करों में राहत देने में असफलता ।	घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।

1	2	3	4	5
1	2	श्री रामावतार शास्त्री	भूमि-स्वामियों पर आयकर की बढ़ी हुई दर लागू करने में असफलता	घटाकर 1 रुपये कर दिया जाये ।
1	3	,,	समाज विरोधी कर प्रणाली का अन्त करने में असफलता	1 रुपया
1	4	,,	अमीरों पर करों का भार डालने की नीति में परिवर्तन करने में असफलता	1 रुपया
1	5	,,	धनी लोगों से बकाया करों की वसूली में असफलता ।	1 रुपया
1	6	,,	कर वसूली के क्रम में गरीबों के शोषण को रोकने की आवश्यकता	1 रुपया
2	7	,,	चकबन्दी कानून को बिहार की संविद सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के साथ लागू करने में असफलता	1 रुपया
2	8	,,	बिहार की भूतपूर्व संविद सरकार द्वारा 2 अक्तूबर, 1968 तक अलाभकर खेती पर से भू-राजस्व समाप्त करने, एक लाख एकड़ पड़ती भूमि का वितरण करने तथा बासगीत जमीन पर खेतिहर मजदूरों को अधिकार दिलाने के बारे में घोषित की गई नीति को क्रियान्वित करने में असफलता ।	1 रुपया
2	9	,,	वर्तमान भूमि सम्बन्धी कानूनों को किसानों के हित में लागू करने में असफलता ।	1 रुपया
2	10	,,	भू-राजस्व प्रथा का अन्त कर बढ़ता हुआ आयकर लगाने की प्रणाली को लागू करने में असफलता ।	1 रुपया
2	11	,,	खेतिहर मजदूरों को निम्नतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी दिलवाने में असफलता ।	100 रुपये
2	12	,,	खेतिहर मजदूरों से बेगार करवाने	

1	2	3	4	5
			जैसी प्रथाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये घटा दिये जायें ।
2	13	श्री रामावतार शास्त्री	भूमि से गरीबों को हटाकर अमीरों को बसाने की नीति समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	14	,,	राज्य बिक्री कर की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
2	15	,,	भूमि अर्जन के समय पूरा मुआवजा चुकता करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	16	,,	पटना जिले के मनेर तथा रानापुर थानों के अन्तर्गत गावों में गंगा नदी के कटाव से पीड़ित लोगों को अन्य भूमि तथा अन्य सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	17	,,	भू-राजस्व तथा ऋणों की वसूली में होने वाली धांधली को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
2	18	,,	आवश्यकता पड़ने पर खेतिहर मजदूरों को ऋण देने की आवश्यकता	100 रुपये
2	19	,,	बड़े.बड़े ऋण लेने वालों से ऋण की राशि वसूल करने में असफलता ।	100 रुपये
2	20	,,	भू-राजस्व वसूल करने के सिलसिले में अत्याचार करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	21	,,	चकबन्दी नीति को सफल बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	22	,,	चकबन्दी योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	23	,,	भूदान के नाम पर होने वाले धन के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
2	24	,,	रेतीली भूमि पर भू-राजस्व माफ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
2	25	श्री रामावतार शास्त्री	गंगा नदी के कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास में असफलता ।	100 रुपये घटा दिये जायें
2	26	,,	भू-अर्जन में होने वाले भ्रष्टाचार एवं धांधली को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
2	27	,,	बड़े-बड़े भूमि स्वामियों को मुआवजा देने पर रोक लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	28	,,	छोटे भू-स्वामियों को मुआवजा देने में असफलता ।	100 रुपये
2	29	,,	टाटाओं की जमींदारी का अन्त करने में असफलता ।	100 रुपये
2	30	,,	किसानों को ऋण भार से बचाने के लिये समझौता बोर्ड गठित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	31	,,	महाजनी कानूनों में उचित संशोधन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
2	32	,,	अलाभकर जोतों को भू-राजस्व से मुक्त करने में असफलता ।	100 रुपये
2	33	,,	चकबन्दी द्वारा अर्जित की गई बेनामी भूमि को गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों में वितरित करने में असफलता ।	100 रुपये
2	34	,,	सरकारी परती भूमि को भूमि हीनों तथा गरीब किसानों को आंवटित करने में असफलता ।	100 रुपये
2	35	,,	खेतिहर मजदूरों को बासगीत भूमि दिलाने में असफलता ।	100 रुपये
2	36	,,	महाजनों द्वारा गैर कानूनी ढंग से हथिया ली गई जमीनों को आदिवासी किसानों को वापस दिलवाने में असफलता ।	100 रुपये
2	37	,,	भूमि-राजस्व की वर्तमान प्रथा के स्थान पर सानुपातिक बढ़ते हुए भू-राजस्व की प्रथा को लागू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

1	2	3	4	5
2	38	श्री रामावतार शास्त्री	अवशिष्ट मध्यवर्ती (जमींदारी) अधिकारों को समाप्त करने में असफलता।	100 रुपये कम कर दिये जायें
3	39	,,	राज्य उत्पाद करों द्वारा राज्य की आय बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	40	,,	बिक्री कर समाप्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	41	,,	बिक्री कर के करोड़ों रुपये की बकाया राशि को वसूल करने में असफलता।	100 रुपये
4	42	,,	मनोरंजन कर से पटना नगर निगम तथा अन्य नगर पालिकाओं को पर्याप्त हिस्सा देने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	43	,,	पटना नगर निगम के अन्तर्गत लगने वाले कर-भार को कम करने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	44	,,	पटना, बोधगया, राजगृह तथा देवघर जाने वाले यात्रियों पर लगाये गये यात्री कर रद्द करने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	45	,,	किसानों द्वारा सिंचाई के लिये बिजली का कनेक्शन लेते समय बारह सौ रुपये अग्रिम जमा करने के निश्चय को रद्द करने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	46	,,	प्रति अश्व शक्ति पर लगने वाली तीन रुपये की रकम को सरचार्ज के नाम पर छः रुपये कर देने के फैसले को रद्द करने की आवश्यकता।	100 रुपये
4	47	,,	विद्युत कर में कमी करने में असफलता।	100 रुपये
9	48	,,	विधान परिषद सचिवालय के कर्मचारियों की छटनी रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	49	,,	मतदाता सूची को प्रेसों में छापने की आवश्यकता।	100 रुपये
9	50	,,	मतदाता सूची को आवश्यकतानुसार उर्दू में भी छापने की आवश्यकता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
9	51	,,	बोगस मतदान को रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
9	52	श्री रामावतार शास्त्री	मतदाता सूची तैयार करने वाले अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को उचित भत्ता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
10	53	,,	न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने में विफलता ।	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये ।
10	54	,,	न्याय प्रशासन के व्यय में कमी करने में विफलता ।	1 रुपया
10	55	,,	जनता को सस्ता न्याय दिलाने की नीति निर्धारित करने में विफलता ।	1 रुपया
10	56	,,	न्यायालयों में मुकदमों का शीघ्र फैसला करवाने में विफलता ।	1 रुपये
10	57	,,	कार्यकारी सेवा को न्यायपालिका से पृथक करने में विफलता ।	1 रुपया
10	58	,,	राज्य के प्रशासन से अंग्रेजी के व्यवहार को पूर्ण रूप से समाप्त करने में विफलता ।	1 रुपया
10	59	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों के उत्पीड़न की नीति में परिवर्तन करने में विफलता ।	1 रुपया
10	60	,,	अफसरों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति में बरते जाने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने में विफलता ।	1 रुपया
10	61	,,	अफसरों एवं कर्मचारियों की बदली में बरते जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने में विफलता	1 रुपया
10	62	,,	भाषाई अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करने में विफलता	1 रुपया
10	63	,,	धार्मिक अल्प संख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में तथा साम्प्रदायिक	

1	2	3	4	5
			भावनाएँ भड़काने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
10	64	श्री रामावतार शास्त्री	अराजपत्रित कर्मचारियों की छटनी रोकने में विफलता ।	1 रुपया
10	65	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों का दमन करने की नीति को बन्द करने में विफलता	1 रुपया
10	66	,,	बिहार राज्य के सम्बन्ध में आई० सी० एस०, आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० सेवाओं को नियंत्रित करने वाले वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने में विफलता ।	1 रुपया
10	67	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्रीय स्तर पर मँहगाई भत्ता देने में विफलता ।	1 रुपया
10	68	,,	दक्ष शासन के सुझाव के लिये राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग गठित करने में विफलता ।	1 रुपया
10	69	,,	प्रशासन को जनता के निकट जाने के लिये विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय सलाह-कार समिति का निर्माण करने में विफलता ।	1 रुपया
10	70	,,	साफ इमानदार और दक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने में विफलता ।	1 रुपया
2	71	श्री क० मि० मधुकर	उच्च अधिकारियों के वेतन में कमी करने और निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने में असफलता ।	1 रुपया
2	72	,,	भूमि के लगान के बड़े भाग को ग्राम पंचायतों को देने में असफलता ।	1 रुपया
2	73	,,	सीमा पर खम्भे लगाने के कार्य को सुचारु रूप से तथा शीघ्रता से करने में असफलता ।	1 रुपया
2	74	,,	सम्पूर्ण राज्य में चकबन्दी के कार्य को पूरा करने में असफलता ।	1 रुपया

1	2	3	4	5
2	75	**श्री क० मि० मधुकर**	श्रेष्ठ जमींदारों को मुआवजा दिया जाना रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
2	76	,,	जिला परिषद के कानूनों को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने में असफलता ।	,,
2	77	,,	कृषि आय कर की प्रगतिवादी नीति के अपनाने में असफलता ।	,,
2	78	,,	भूदान यज्ञ की निरर्थकता ।	,,
3	79	,,	गांजे और अन्य उत्तेजक पदार्थों की तस्करी को प्रभावी रूप से रोकने में असफलता ।	,,
3	80	,,	बिहार छोआ नियंत्रण अधिनियम 1947 को प्रभावीरूप से लागू करने में असफलता ।	,,
4	81	,,	गाड़ियों पर कर की प्रभावी रूप से वसूली करने से सम्बन्धित नियमों को लागू करने में असफलता ।	,,
4	82	,,	मोटर गाड़ियों के मालिक मोटर गाड़ी अधिनियम का ठीक से पालन करें, यह सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
4	83	,,	बिक्री कर की वसूली में कड़ाई न बरतना ।	,,
4	84	,,	बिक्री कर की वसूली में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए नियम न बनाना ।	,,
10	85	,,	प्रशासनिक सुधारों को लागू करने में असफलता ।	,,
11	86	,,	निर्धन लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने में असफलता ।	,,
11	87	,,	जनसमुदाय को न्याय दिलाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने में असफलता ।	,,
2	93	**श्री रामावतार शास्त्री**	उर्दू भाषा के संरक्षण और इसकी प्रगति और विकास हेतु उचित कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपये कम कर दिये जायें ।

2	3	4	5
2 94	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को संरक्षण देने तथा उनका विकास करने में असफलता ।	100 रुपए कम कर दिए जायें
2 95	,,	विद्यार्थियों के विरुद्ध दायर किये गये सभी मामले वापस लेने में असफलता ।	,,
2 96	श्री चन्द्र शेखर सिंह	जनता द्वारा किए गए आन्दोलनों के सम्बन्ध में बन्दी बनाए गए व्यक्तियों को मुक्त करने और उनके विरुद्ध दायर किए गए मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
2 97	,,	आदिवासी नेताओं के निरोध की अवधि समाप्त करने और उन्हें जेलों से मुक्त करने की आवश्यकता ।	,,
2 98	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किए गए मामलों को वापस लेने में असफलता ।	,,
2 99	श्री रामावतार शास्त्री	अराजपत्रित कर्मचारियों को नौकरी से हटाने और निलम्बित करने के आदेश रद्द करने में असफलता ।	,,
2 100	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही रद्द करने में असफलता ।	,,
2 101	,,	हड़ताली अराजपत्रित कर्मचारियों को बिना शर्त पुनः सेवा में लगाने में असफलता ।	,,
2 102	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगें स्वीकार न करना ।	,,
2 103	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों की छटनी रोकने में असफलता ।	,,
2 104	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर नगद मंहगाई भत्ता देने में असफलता ।	,,
2 105	,,	बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिये पर्याप्त नावों की व्यवस्था करने में विफलता ।	,,
2 106	,,	बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
2	107	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना जिलान्तर्गत मनेर थाने के दियारा क्षेत्र के ग्रामों की गंगा के कटाव से रक्षा करने में असफलता।	100 रुपए कम कर दिए जायें।
2	108	,,	पटना के मनेर थाने के कटाव पीड़ित किसानों के पुनर्वास में असफलता।	,,
2	109	,,	मनेर थाने के कटाव पीड़ित किसानों को अन्यत्र बसाने के लिये शीघ्र जमीन की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
2	110	,,	बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी तथा कर्जों की वसूली को फौरन रोकने की आवश्यकता।	,,
2	111	,,	बाढ़ को नियन्त्रित करने में असफलता।	,,
2	112	,,	बाढ़ सहायता के कार्य की कारगर ढंग से व्यवस्था करने में असफलता।	,,
2	113	,,	बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं की क्रियान्विति में असफलता।	,,
13	114	,,	साम्प्रदायिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	,,
13	115	,,	सरकारी कर्मचारियों के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरगर्मियों पर रोक लगाने में असफलता।	,,
13	116	,,	आनन्द मार्ग के क्रियाकलापों को रोकने में असफलता।	,,
13	117	,,	भारत-नेपाल, बिहार-बंगाल, बिहार-उड़ीसा तथा बिहार-उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर होने वाली तस्करी को रोकने में असफलता।	,,
13	118	,,	विदेशियों के क्रिया–कलापों को नियंत्रित करवाने में असफलता।	,,
16	119	,,	राष्ट्रीय एकता, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के हित में शिक्षा पद्धति को	

1	2	3	4	5
			पुनर्गठित करने के लिए कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित न करना।	100 रुपये कम कर दिये जायें
16	120	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा को प्रवेशिका स्तर तक मुफ्त करने में असफलता।	,,
16	121	,,	सम्बद्ध और अंगीभूत कालेजों के शिक्षकों के वेतनमान में व्याप्त असमानता को दूर कर समान वेतन-स्तर निर्धारित करने में असफलता।	,,
12	122	,,	बन्दियों के लिये खेलों आदि का पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफलता।	,,
12	123	,,	पीड़ित बन्दियों को जेल अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करने में असफलता।	,,
12	124	,,	जेल के वार्डनों को अच्छा वेतन दूसरी सुविधाएं देने में असफलता।	,,
12	124	,,	जेलरों के पदों को राजपत्रित घोषित करने में असफलता।	,,
12	126	,,	जेलरों का वेतनमान बढ़ाकर 290–650 रुपये करने की आवश्यकता।	,,
12	127	,,	सहायक जेलरों के लिये 230-450 रुपये करने की आवश्यकता।	,,
12	128	,,	बन्दियों में सुधार कर उन्हें समाज में रहने लायक नागरिक बनाने में असफलता।	,,
12	129	,,	जेलरों को प्रत्येक तीन वर्ष में पोशाक के लिये एक मुश्त तीन सौ रुपये तथा सहायक जेलरों को 220 रुपये भत्ता देने की आवश्यकता।	,,
12	130	,,	जेलों से सरकारी सामान की होने वाली चोरी रोकने में असफलता।	,,
12	131	,,	जेलों से कैदियों के राशन की होने वाली चोरी को रोकने में असफलता।	,,
12	132	,,	बक्सर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर	

1	2	3	4	5
			हजारीबाग, पटना आदि स्थानों पर जेलों में चलने वाले उद्योग धन्धों की कुव्यवस्था रोकने में असफलता।	100 रुपये कम कर दिये जाये।
12	133	श्री रामावतार शास्त्री	जेलों के उद्योगों से मुनाफा कमाने में असफलता।	,,
12	134	,,	बूढ़े कैदियों को जेलों से रिहा कर देने की आवश्यकता।	,,
12	135	,,	कैदियों को शिक्षित करने की आवश्यकता।	,,
12	136	,,	कारागारों में कैदियों के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
12	137	,,	जेलों में अत्यधिक भीड़ को रोकने में असफलता।	,,
12	138	,,	जेलों में सर्वत्र बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करने में असफलता।	,,
12	139	,,	जेलों में "सैप्टिक" पाखानों की व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
12	140	,,	जेल के पुस्तकालयों को अधिक उपयोगी बनाने की आवश्यकता।	,,
12	141	,,	कैदियों के मनोरंजन के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करने में असफलता।	
12	142	,,	तीसरे दर्जे के कैदियों को दिये जाने वाले बिछाने तथा कपड़ों के स्तर में सुधार करने में असफलता।	,,
12	143	,,	कैदियों की मुलाकात, पत्र आदि के नियमों में सुधार करने की आवश्यकता।	,,
12	144	,,	नजरबन्दों को मिलने वाली सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
12	145	,,	पुलिस को अपरमित अधिकार देने की नीति में परिवर्तन करने में असफलता।	,,
12	146	,,	पुलिस जुल्म को रोकने में असफलता।	,,
12	147	,,	पुलिस का राजनैतिक आन्दोलनों तथा	

1	2	3	4	5
			जन आन्दोलनों को कुचलने के लिए अनुचित इस्तेमाल रोकने में असफलता ।	100 रुपए कम कर दिए जाये
13	148	श्री रामावतार शास्त्री	चोरी तथा डकैती की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने में असफलता ।	,,
13	149	,,	आमलोगों के जान-माल की रक्षा करने में असफलता ।	,,
13	150	,,	समाज विरोधी तथा गुण्डा तत्वों का दमन करने में असफलता ।	,,
13	151	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान पटना, रांची दरभंगा तथा अन्य स्थानों पर लाठी चार्ज की घटनाओं की न्यायिक जांच कराने में असफलता ।	,,
13	152	,,	नागरिक अधिकारों का दमन करने की नीति में परिवर्तन करने में असफलता ।	,,
13	153	,,	नागरिक अधिकारों की पूर्णरूपेण रक्षा करने की आवश्यकता ।	,,
13	154	,,	दमनात्मक कानूनों को रद्द करने में असफलता ।	,,
13	155	,,	पुलिस संहिता में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
13	156	,,	जनतांत्रिक प्रशासन के हित में पुलिस तथा कारागार संहिताओं में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता ।	,,
13	157	,,	जनवादी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी मुकदमों को वापस लेने में असफलता ।	,,
23	158	श्री क० मि० मधुकर	सामाजिक शिक्षा के श्रेत्र में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने में असफलता	,,
23	159	,,	ग्रामीण जनता में सफाई की आदतों का प्रसार करने के लिये समुचित कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
23	160	,,	सामुदायिक विकास प्रखण्डों के माध्यम से ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं में कोई प्रगति करने में असफलता	,,

1	2	3	4	5
23	161	श्री क० मि० मधुकर	सामुदायिक विकास प्रखण्डों के माध्यम से बिहार की आदिवासी जनता के जीवन में खुशहाली लाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति करने में असफलता।	100 रुपये
23	162	,,	बिहार के बाढ़ पीड़ित तथा अन्य क्षेत्रों में अस्थायी पुलों तथा सड़कों की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
23	163	,,	सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी हरिजनों के लिये पेय जल की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
28	164	,,	गंडक परियोजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता।	,,
28	165	,,	गंडक परियोजन को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में असफलता।	,,
28	166	,,	गंडक नहर के निर्माण के लिये और अधिक धन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
28	167	,,	गंडक परियोजना के अन्तर्गत तिरहुत नहर की शाखा नहरों की खुदाई के कार्य में प्रगति करने में असफलता	,,
28	168	,,	बागमती एवं अधवार नदी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असफलता।	,,
28	169	,,	मेहसी, चम्पारन में शोरा उद्योग की उत्तरोत्तर गिरती हुई स्थिति को सुधारने में असफलता।	,,
28	170	,,	मेहपी में शोरा के साधारण उत्पादकों से सहयोग प्राप्त करने में असफलता।	,,
28	171	,,	मेहसी में शोरा उद्योग की चिली तथा अन्य मंडियों से आयात किये जा रहे सोडियम नाईट्रेट से रक्षा करने में असफलता।	,,
28	172	,,	शोरा शोधक उद्योग के कर्मचारियों के वेतन में मंहगाई के फलस्वरूप वृद्धि करने	

1	2	3	4	5
			एवं उन्हें अन्य सुविधाएं देने में असफलता ।	100 रुपये
28	173	श्री क० मि० मधुकर	मेहसी चम्पारन में दरी उद्योग में गिरावट को रोकने में असफलता	,,
28	174	,,	बिहार के चम्पारन जिले में रामडीह में बुनकरों को पर्याप्त राज सहायता देने में असफलता ।	,,
28	175	,,	बुनकर सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	,,
28	176	,,	कुटीर-उद्योग संस्थान को कुटीर उद्योग के लिये अधिकाधिक लाभप्रद बनाने में असफलता ।	,,
28	177	,,	टसर उद्योग का अधिकाधिक विद्यालयों में बुनियादी शिल्प के रूप में प्रचलन करने में असफलता ।	,,
28	178	,,	लघु उद्योग के क्षेत्रों में ग्रामीण कर्मशाला की स्थापना, विकास एवं तत्सम्बन्धी बुनियादी शिल्प के प्रशिक्षण में असफलता ।	,,
28	179	,,	मेहसी में सीप के बटन उद्योग को आधुनिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
28	180	,,	मेहसी में सीप के बटन उद्योग के उत्पादों की विपणन सम्बन्धी कठिनाइयों को हल करने में असफलता ।	,,
28	181	,,	मेहसी में बने सीप के बटनों का निर्यात करने में असफलता ।	,,
28	182	,,	मेहसी के सीप के बटन उद्योग की समस्याओं को सुलझाने में जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने में सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया ।	,,
28	183	,,	मेहसी चम्पारन के बटन उद्योग में लगे	

1	2	3	4	5
			मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने में असफलता।	100 रुपये
10	197	श्री रामावतार शास्त्री	अराजपत्रित कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में संविद सरकार के फैसलों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
10	198	,,	शोषित दल सरकार द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों का पांच दिनों का काटा गया वेतन चुकाने में असफलता।	,,
10	199	,,	अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं को वही सुविधाएं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती हैं, देने में असफलता।	,,
10	200	,,	अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यकर्ताओं की अन्यत्र बदली नहीं करने की नीति अपनाने में असफलता।	,,
10	201	,,	अराजपत्रित कर्मचारियों को हड़ताल समाप्त करने के पूर्व गृह मन्त्री और बिहार के राज्यपाल द्वारा दिये गये आश्वासनों को पूरा करने में असफलता।	,,
10	202	श्री रामावतार शास्त्री	अस्थायी अराजपत्रित कर्मचारियों को 31 अगस्त, 1968 तक हड़ताल के दिनों के लिये छुट्टी की दरखास्त न देने पर नौकरी की समाप्ति सम्बन्धी परिपत्र को वापस लेने की आवश्यकता।	,,
16	203	श्री क० मि० मधुकर	सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर देश की आवश्यकतानुसार बनाने में असफलता।	
16	204	,,	शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों को रोजगार देने में असफलता।	,,
16	205	,,	सरकारी एवं अन्य व्यावसायिक कालेजों में शिक्षा के गिरते हुए स्तर को सुधारने में असफलता।	,,
16	206		बिहार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को पूर्णतया लागू करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
16	207	**श्री रामावतार शास्त्री**	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी कालेजों में समस्तरीय शिक्षकों को समान वेतन देने में असफलता।	100 रुपये
16	208	,,	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार बिहार में शिक्षा के प्रसार के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
16	209	,,	बिहार विश्वविद्यालय के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की असफलता।	,,
16	210	,,	बिहार में हाई, मिडिल, प्राइमरी तथा नगरपालिका के स्कूलों के शिक्षकों को पर्याप्त वेतन तथा अन्य सुविधाएं देने में असफलता।	,,
16	211	,,	राजकीय आर्ट स्कूलों में आवश्यकता अनुसार प्रगति न होना।	,,
13	212	,,	पुलिस फोर्स को साम्प्रदायिक सद्भावना सम्बन्धी शिक्षा देने की आवश्यकता।	,,
13	213	,,	चौकीदारों की सेवा की शर्तें तथा वेतन में सुधार करने की आवश्यकता।	,,
13	214	,,	पुलिस के सिपाहियों और चौकीदारों द्वारा पुलिस अफसरों की बेगारी करने पर रोक लगाने में असफलता।	,,
13	215	,,	चौकीदारों को जाड़े के दिनों में गर्म वर्दी देने की आवश्यकता।	,,
13	216	,,	भारत-नेपाल सीमा चौकी पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	,,
13	217	,,	साम्प्रदायिक दंगों को उकसाने वाले पुलिस अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	,,
13	218	,,	पुलिस द्वारा आम जनता को तंग किये जाने को रोकने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
13	219	**श्री रामावतार शास्त्री**	पुलिस विभाग में व्याप्त घूमखोरी एवं भ्रष्टाचार को रोकने में विफलता।	100 रुपये
13	220	,,	रांची, पतरातू, बेलसंड, भागलपुर और सुल्तानगंज में हुए साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफल अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता।	,,
13	221	,,	बिहार में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने में विफलता।	,,
13	222	,,	पुलिस कर्मचारियों का दमन करने की नीति में परिवर्तन करने में असफलता।	,,
13	223	,,	पुलिस कर्मचारियों के वेतन, भत्ता आदि सुविधाओं में वृद्धि करने में असफलता।	,,
13	224	,,	पुलिस आन्दोलनों के दरम्यान दमन के शिकार पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई समस्त कार्यवाही को वापस लेने और इन्हें बहाल करन तथा पेंशन देने की आवश्यकता।	,,
13	225	,,	पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि करने की आवश्यकता।	,,
13	226	,,	होमगार्ड के सिपाहियों को नियमित आधार पर नियुक्त करने की आवश्यकता।	,,
13	227	,,	पुलिस कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की भावनाओं से ओतप्रोत करने के लिये विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता।	,,
16	228	,,	गैर-सरकारी स्कूलों का प्रबन्ध संभालने में असफलता।	,,
16	229	,,	शिक्षा की व्यवस्था, स्तर आदि में सुधार करने के लिये गठित रमण समिति को भंग करने की आवश्यकता।	,,
16	230	,,	शिक्षा में वांछित सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय कानून में परिवर्तन करने में विफलता।	,,

1	2	3	4	5
16	231	श्री रामावतार शास्त्री	समान पाठ्यक्रम निर्धारित करने में विफलता ।	100 रुपये
16	232	,,	विश्वविद्यालय में व्याप्त भाई-भतीजावाद, पक्षपात, जातीयता, साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता आदि को रोकने में विफलता ।	,,
16	233	,,	विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूलों के कोष के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	,,
17	234	,,	जनसाधारण को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने में असफलता ।	राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
17	235	,,	चिकित्सा प्रणाली सस्ती करने में असफलता ।	,,
17	236	,,	दवाइयों के मूल्यों में हो रही निरन्तर वृद्धि रोकने में असफलता ।	,,
17	237	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में अस्पताल खोलने में असफलता ।	,,
17	238	,,	अस्पतालों में व्याप्त कुप्रबन्ध रोकने में असफलता ।	,,
17	239	,,	अस्पतालों में रोगियों को अच्छा भोजन देने में असफलता ।	,,
17	240	,,	अस्पतालों में दवाइयों की चोरी रोकने मे असफलता ।	,,
17	241	,,	अस्पतालों में शैयाओं की संख्या बढ़ाने में असफलता ।	,,
17	242	,,	अस्पताल कर्मचारियों की दशा में सुधार करने में असफलता ।	,,
17	243	,,	हाउस सर्जनों की सेवा शर्तें और उनके वेतनक्रम-सुधारने में असफलता ।	,,
17	244	,,	आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
17	245	श्री रामावतार शास्त्री	वैद्यों को डाक्टरों के समान वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
17	246	,,	छूत की बीमारियों को रोकने तथा उनका निदान करने में असफलता ।	,,
17	247	,,	डाक्टरी शिक्षा की सुविधाएँ बढ़ाने में असफलता ।	,,
17	248	,,	राज्य के अस्पतालों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संघ को मान्यता देने में असफलता ।	,,
17	249	,,	पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संघ को मान्यता देने में असफलता ।	,,
17	250	,,	बाढ़पीड़ित क्षेत्रों जैसे मनेर, दानापुर, जिला पटना आदि स्थानों में स्थायी चिकित्सा केन्द्र खोलने में असफलता ।	,,
17	251	श्री क० मि० मधुकर	जन साधारण, विशेषकर ग्रामीणों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने में सरकार की असफलता	100 रुपये
17	252	,,	आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली का विकास करने में सरकार की असफलता ।	,,
17	253	,,	अस्पतालों में लालफीता शाही को रोकने में सरकार की असफलता ।	,,
17	254	,,	आयुर्वेदीय निदेशालय के कार्यों को प्रभावकारी समीक्षा करने तथा उसे उन्नतशील बनाने में सरकार की लापरवाही ।	,,
17	255	,,	पटना मेडिकल कालेज के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि, आवासीय सुविधाओं तथा कार्यावस्था के सुधार में सरकार की असफलता ।	,,
17	256	,,	पटना मेडिकल कालेज अस्पताल में रोगियों को मिलने वाले भोजन का स्तर सुधारने में सरकार की उपेक्षा ।	,,

1	2	3	4	5
17	257	श्री क० मि० मधुकर	मेडिकल कालेजों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उचित मांगों को स्वीकार न करना ।	100 रुपये
17	258	,,	पटना के युनानी एवं आयुर्वेदीय शोध यूनिटों के कार्यों में तेजी लाने में उपेक्षा ।	,,
17	259	,,	चम्पारन जिले के धनहा थाने के बाढ़-ग्रस्त इलाके में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था न करना ।	,,
17	260	,,	चम्पारन के मोतिहारी जिला अस्पताल में गरीब रोगियों डाक्टरों द्वारा उपेक्षा न रोकना ।	,,
17	261	,,	प्रखण्ड स्तर पर राजकीय अस्पतालों में दवा की समुचित आपूर्ति की व्यवस्था न करना ।	,,
17	262	,,	चम्पारन जिले के मधुवन और मेहसी राजकीय अस्पतालों के भवनों की मरम्मत न करना ।	
17	263	,,	यक्ष्मा की रोकथाम करने में असफलता	
17	264	,,	यक्ष्मा रोगियों के लिये दवा, अस्पताल और एक्सरे की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव ।	,,
17	265	,,	विभिन्न प्रखण्डों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं और डाक्टरों आदि का अभाव ।	,,
17	266	,,	कुष्ठ रोग के उपचार और रोकथाम के लिये चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव ।	,,
17	267	,,	देहातों में पशुओं के संक्रामक रोगों को रोकने में असफलता ।	,,
17	268	,,	पंचायत स्तर पर चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध न करना ।	,,
18	269	,,	ग्राम स्तर पर टीका लगाने वाले कर्म-	

1	2	3	4	5
			चारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने और उन्हें अधिक मंहगाई भत्ता दिलाने में असफलता ।	100 रुपये
18	270	श्री क० मि० मधुकर	जनता में सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी न्यूनतम ज्ञान का प्रसार करने में असफलता ।	,,
18	271	,,	मेहतरों की सेवा की शर्तों में सुधार करने में असफलता ।	,,
18	272	,,	चम्पारन एवं मुजफ्फरपुर जिलों के कुछ इलाकों में घेघा की बीमारी का पूर्णतया उन्मूलन करने में असफलता ।	,,
18	273	,,	गाँवों में पेय जल की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
19	274	,,	ईख विकास योजना के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर, छपरा और चम्पारन के अधिक ईख उत्पादक क्षेत्रों में अधिक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
19	275	,,	ईख विकास योजना के अन्तर्गत ईख उत्पादकों को मिल-मालिकों से उनकी बकाया दिलवाने में असफलता ।	,,
19	276	,,	मिल-मालिकों और किसानों की कई आपसी समस्याओं जैसे यातायात प्रबन्ध आदि को हल करने में असफलता ।	,,
19	277	,,	नलकूपों की व्यवस्था करने के लिये किसानों को अनुदान देने में असफलता ।	,,
19	278	,,	ढोली और पूसा के क्षेत्रों में काम करने वाले साधारण कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
19	279	,,	ढोली-पूसा के पास कृषि विश्वविद्यालय खोलने में असफलता ।	,,
22	280	,,	प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर आदर्श	

1	2	3	4	5
			बढ़ईगिरी की इकाइयाँ स्थापित करने में असफलता ।	100 रुपये
22	281	श्री क० मि० मधुकर	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं को रोकने में असफलता ।	,,
22	282	,,	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों के लिये अच्छे वेतनमानों, आवास तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
22	283	,,	ग्राम पंचायतों को लघु उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त ऋण अथवा अनुदान न देना ।	,,
22	284	,,	पंचायत स्तर पर लघु उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं का सर्वेक्षण कर उसमें अनुरूप लघु उद्योगों को विकसित करने में असफलता ।	,,
16	285	श्री रामावतार शास्त्री	स्कूलों में उर्दू भाषी छात्रों के रहने पर भी उर्दू की पढ़ाई की व्यवस्था करने में असफलता ।	
16	286	,,	उर्दू-भाषी छात्रों के रहने पर भी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने में असफलता ।	,,
16	287	,,	ऊंची कक्षाओं के छात्रों को परीक्षाओं में उत्तर-पुस्तिकायें अपनी मातृ-भाषा में लिखने की अनुमति देने की आवश्यकता ।	,,
16	288	,,	आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने में असफलता ।	,,
16	289	,,	बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की नीति को क्रियान्वित करने में असफलता ।	,,
19	290	श्री क० मि० मधुकर	कृषि विज्ञान के स्नातकों को रोजगार दिलाने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
19	291	श्री क० मि० मधुकर	ग्राम सेवकों के लिये आवास की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
19	292	,,	प्रत्येक गांव में किसानों को मिट्टी परीक्षण सुविधायें उपलब्ध करने में असफलता ।	,,
19	293	,,	चम्पारन जिले में मेहसी तथा दतिया क्षेत्रों में आम तथा लीची के उत्पादन की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये एक संस्थान स्थापित करने में असफलता ।	,,
19	294	,,	मत्स्य पालन योजना की धीमी प्रगति ।	,,
19	295	,,	छोटे किसानों के लिये छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करने में असफलता ।	,,
19	296	,,	कृषि सम्बन्धी ज्ञान की समुचित सूचनाओं का किसानों में प्रचार एवं प्रशिक्षण का अभाव ।	,,
19	297	,,	किसानों को बोरिंग कराने में 25 प्रतिशत के सरकारी अनुदान को कायम रखने में सरकार की असफलता ।	,,
19	298	,,	कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनी, प्रचार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले मेलों में करने में सरकार की विफलता ।	,,
19	299	,,	भूमि संरक्षण, भूमि को समतल करने आदि में किसानों को पर्याप्त सहायता की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता ।	
19	300	,,	ग्राम स्तर पर उद्यान विकास सम्बन्धी योजनाओं की प्रभावकारी एवं तत्परता से क्रियान्विति में सरकार की विफलता ।	,,
19	301	,,	गहन कृषि योजना के अन्तर्गत चम्पारन के बेलरिया, कल्याणपुर, मेहसी, पिपरा	

1	2	3	4	5
			प्रखण्डों को सम्मिलित करने में सरकार की विफलता।	100 रुपये
19	302	श्री क० मि० मधुकर	बंजर भूमि को खेत-मजदूरों एवं गरीब किसानों में बाँटने में सरकार की असफलता।	,,
91	303	,,	चम्पारन में बंजर भूमि को बड़े भू-स्वामियों द्वारा हड़पने से रोकने में सरकार की असमर्थता।	,,
19	304	,,	बड़े जमींदारों की बटाई पर दी गई जमीन पर बटाईदारों के जोत सम्बन्धी अधिकारों को देने में सरकार की विफलता।	,,
19	305	,,	भारत सेवक समाज को सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से होने वाले कृषि सम्बन्धी लाभों की समीक्षा करने में सरकार की विफलता।	,,
19	306	,,	कृषि सम्बन्धी उपकरणों के प्रयोग को बढ़ाने एवं उनके सम्बन्ध में अनुसंधान और सुधार करने के लिए प्रोत्साहन देने में सरकार की असफलता।	,,
19	307	,,	पंचायत राज समितियों को दिये गये कृषि सम्बन्धी सहायक अनुदानों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त कराने में सरकार की असफलता।	,,
16	323	श्री रामावतार शास्त्री	महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने में असफलता।	,,
16	324	,,	छात्राओं को छात्रवृत्तियां देने की विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता।	,,
16	325	,,	तीव्र एवं कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने में असफलता।	,,
16	326	,,	हरिजन, आदिम जाति के छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
16	327	श्री रामावतार शास्त्री	राज्य में टेकनिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
16	328	,,	शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भाई भतीजावाद पक्षपात और जातीयता को रोकने में असफलता ।	,,
18	329	,,	ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था के लिए चोंपा कलों को बैठाने की आवश्यकता ।	,,
18	330	,,	चेचक का टीका लगाने की प्रथा को विस्तृत करने की आवश्यकता ।	,,
18	331	,,	हैजे का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
18	332	,,	जन-स्वास्थ्य की प्रगति के लिए पटना नगर निगम को मिलाने वाले अनुदान में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
18	333	,,	पटना नगर के उत्थान के लिये विशेष अनुदान देने की आवश्यकता ।	,,
18	334	,,	पटना नगर में पानी के जमाव को रोकने में विफलता ।	,,
18	335	,,	पटना नगर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने में असफलता ।	,,
18	336	,,	पटना नगर में समय समय पर उपस्थित होने वाले जल संकट को दूर करने में असफलता ।	,,
18	337	,,	पटना उत्थान ट्रस्ट में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
18	338	,,	पटना उत्थान ट्रस्ट में हुए एक करोड़ रुपए के गोलमाल को रोकन तथा उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
18	339	,,	पटना नगर के उत्थान के लिए विशेष ध्यान तथा अनुदान देने में असफलता ।	,,
18	370	,,	राजगीर के विकास के लिए अधिक अनुदान देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
18	371	श्री रामअवतार शास्त्री	जन स्वास्थ्य और सफाई के लिये संतोषजनक प्रबन्ध करने में असफलता ।	100 रुपये
18	372	,,	पटना जिले में फूलबाड़ी शरीफ और मनेर में पेय जल के लिये लगाये गये नलकूपों को चालू करने की आवश्यकता ।	,,
18	373	,,	पटना जिले में मसौदी और दाऊदपुर में पेय जल के लिये नलकूप लगाने की आवश्यकता ।	,,
18	374	,,	पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को अधिक वेतन तथा अन्य सुविधायें देने में असफलता ।	,,
18	375	,,	पटना नगर में मच्छरों का उत्पात रोकने में असफलता ।	,,
19	376	,,	किसानों को पौधा संरक्षण की शिक्षा देने की आवश्यकता ।	,,
19	377	,,	रेशम के उचित मूल्य निर्धारित करने में असफलता ।	,,
19	378	,,	गन्ने की कीमत में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
19	379	,,	गहन कृषि योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
19	380	,,	देहातों में खाद बनाने पर विशेष बल देने की आवश्यकता ।	,,
19	381	,,	पम्पिंग सेटों को ऋण पर देने की योजना का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
19	382	,,	कृषि फार्मों को उपयोगी बनाने में असफलता ।	,,
19	383	,,	कृषि फार्मों के नाम पर धन के दुरुपयोग को रोकने में असफलता ।	,,
19	384	,,	बीज फार्मों की अनुपयोगिता ।	,,
19	385	,,	बीज फार्मों के नाम पर धन का दुरुपयोग ।	,,
19	386	,,	कृषि कालेजों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
19	387	श्री रामावतार शास्त्री	मत्स्य विकास योजना का विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
19	388	,,	कृषि विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिये कृषि विश्वविद्यलायों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
19	389	,,	किसानों की स्थिर और लाभदायक कीमत सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर वस्तुएँ उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
19	390	,,	कृषि विभाग के भ्रष्ट अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफ़लता ।	,,
19	391	,,	उर्वरकों की कीमत को बढ़ने से रोकने में असफलता ।	,,
19	392	,,	उर्वरकों की कीमत को कम करने की आवश्यकता ।	,,
19	393	,,	उर्वरकों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में असफलता ।	,,
19	394	,,	कृषि के विकास पर अधिक राशि व्यय करने की आवश्यकता ।	,,
19	395	,,	कृषि सम्बन्धी अनुसंधान की असंतोष-जनक प्रगति ।	,,
19	396	,,	लघु सिंचाई योजनाओं का जाल बिछाने की आवश्यकता ।	,,
19	397	,,	देहातों में ट्यूबवैलों का बोरिंग करने की आवश्यकता ।	,,
19	398	,,	कृषि विकास सम्बन्धी प्रचार की कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता ।	,,
19	399	,,	उन्नत बीज, उर्वरक एवं कृमिनाशक दवाओं तथा तकनीकी परामर्श के द्वारा कृषि की उपज बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,
20	400	,,	पशुओं के इलाज के लिए असंतोषजनक व्यवस्था ।	

1	2	3	4	5
20	401	श्री रामावतार शास्त्री	पशुओं के इलाज के लिये गाँवों में पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
20	402	,,	पशु रोगों का उन्मूलन करने में असफलता ।	,,
20	403	,,	गांवों में मुर्गी पालन योजनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
20	404	,,	गौशालाओं को अनुदान के नाम पर धन के अपव्यय को रोकने की आवश्यकता ।	,,
20	405	,,	अच्छी नस्ल के सांड़ों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने की आवश्यकता	,,
20	406	,,	पटना दुग्ध संभरण योजना के कार्य में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
20	407	,,	पटना के नागरिकों को मुफ्त दूध देने में असफलता ।	,,
20	408	,,	पटना दुग्ध संभरण योजना द्वारा दिये जा रहे दूध के मूल्यों को कम करने की आवश्यकता ।	,,
20	409	,,	पटना के नागरिकों की दूध की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफलता ।	,,
20	410	,,	समस्त जिला नगरों में दुग्ध संभरण योजना का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
20	411	,,	सस्ती कीमत पर चारा दिलाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	,,
20	412	,,	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में चारा दिलाने की आवश्यकता ।	,,
20	413	,,	चारे का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
20	414	,,	बिहार राज्य सहकारिता संघ लिमिटेड में गड़बड़ी को रोकने की आवश्यकता ।	,,
20	415	,,	पाटलिपुत्र सहकारी मकान निर्माण	

1	2	3	4	5
			समिति लिमिटेड को अनुदान देने में असफलता।	100 रुपए
20	416	श्री रामावतार शास्त्री	गांवों में सहकारिता की भावना फैलाने में असफलता	,,
20	417	,,	घानी सहकारी समितियों में गड़बड़ियों को रोकने में असफलता।	,,
20	418	,,	गांवों में बहु-प्रयोजनीय सहकारी समितियां स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
20	419	,,	श्रमिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
20	420	,,	जाली सहकारी समितियों को समाप्त करने में असफलता।	,,
20	421	,,	केवल मत्स्यपालन सहकारी समितियों को ही मछली पकड़ने की अनुमति देने की आवश्यकता।	,,
21	422	,,	सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता।	,,
21	423	,,	गरीब किसानों के लिए सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में असफलता।	,,
21	424	,,	सहकारी समितियों के कार्य में अनियमिताओं को रोकने में असफलता।	,,
21	425	,,	गन्ना उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
21	426	,,	राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
21	427	,,	पटना में बुनकर सहकारी समिति में भ्रष्टाचार के समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
21	428	,,	गांवों में बहु प्रयोजनीय सहकारी समितियों का जाल बिछाने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
21	429	**श्री रामावतार शास्त्री**	केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक की और शाखाएं खोलने की आवश्यकता।	100 रुपये
21	430	"	ईख उत्पादक सहकारी समिति वारसलीगंज की उत्पादन में और ईख उत्पादकों को समय पर सहयोग देने में असफलता।	"
21	431	"	गोडारू चीनी मिल का सहयोग न मिलने के कारण ईख उत्पादक सहकारी समिति की ईख की खेती में असफलता।	"
21	432	"	ईख उत्पादक सहकारी समिति वारसली-गंज की ईख-उत्पादकों को उर्वरक सप्लाई करने में असफलता।	"
21	433	**श्री क० मि० मधुकर**	ईख उत्पादक सहकारी समिति द्वारा चाकिया ईख संघ, चम्पारन का समय पर चुनाव कराने में असफलता।	"
21	434	"	ईख उत्पादकों तथा चीनी मिल के स्वामियों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में असफलता।	"
21	435	"	ईख उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा लोगों को भुगतान निश्चत करान में असफ़लता।	"
21	436	"	हथकरघा उद्योग के उच्च अधिकारियों में अनाचार को रोकने में असफलता।	"
21	437	"	चम्पारन एवं मुजफ्फरपुर में क्रय-विक्रय सहयोग समितियों का समुचित विकास करने में असफलता।	"
21	438	"	सूत हथकरघा उद्योग को पर्याप्त सहायता देने में असफलता।	"
21	439	"	हथकरघा उद्योग को अच्छे नमूने तैयार करने एवं उनका प्रचार करने में असफलता।	"
21	440	"	बुनकर सहकारी समितियों को पुरस्कार के लिये अधिक राशि मुहैया करन में असफ़लता।	"

1	2	3	4	5
21	441	श्री क० मि० मधुकर	बहुधंधी सहकारी समितियों का ग्राम जनता के लिये लाभकारी बनाने में असफलता।	100 रुपये
21	442	,,	बहुधंधी सहकारी समितियों को समय पर ऋण देने में असफलता।	,,
21	443	,,	बहुधंधी सहकारी समितियों को पैसा कमाने का धंधा बनाने से रोकने में असफलता।	,,
21	444	,,	बहुधंधी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव के धनी एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने को रोकने में असफलता।	,,
21	445	,,	बहुधंधी सहकारी समितियों के ऋणों को प्रभावशाली व्यक्तियों से वसूल करने में असफलता।	,,
21	446	,,	सहकारी समितियों और भूमि बन्धक बैंकों के बीच अच्छे सम्बन्ध सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
21	447	,,	प्रत्येक पंचायत में खेत-मजदूरों की सहकारी समितियां बनाने में असफलता।	,,
21	448	,,	खेत मजदूरों की सहकारी समितियों द्वारा उन्हें छोटे मोटे कामों को दिलाने में असफलता।	,,
21	449	,,	खेत मजदूरों को उनके जीवन निर्वाह के लिए उनकी सहकारी समितियों को अनुदान देने में सरकार की असफलता।	,,
21	461		हथकरघा सहकारी समितियों में चल रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने में असफलता।	,,
21	462	,,	सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को समय पर ऋण देने में असफलता।	,,
21	463	,,	हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा	

1	2	3	4	5
			विकास कार्य में पर्याप्त प्रगति करने में असफलता।	100 रुपये
21	464	श्री क० मि० मधुकर	जिला चम्पारन में सहकारी समितियों द्वारा पटसन का उत्पादन बढ़ाने में असफलता।	,,
21	465	,,	तेल उत्पादन में लगे साम'न्य लोगों की सहकारी समितियों का उचित रूप में संगठन करने में असफलता।	,,
21	466	,,	प्रदर्शनियों तथा मेलों द्व'रा सहकारिता संबंधी शिक्षा देने में असफलता।	,,
22	471	श्री रामावतार शास्त्री	गया जिले के वारिसलीगंज स्थित रोहिनी चीनी मिल को चालू रखने में असफलता।	,,
22	472	,,	बन्द चीनी मिलों को चालू करने की आवश्यकता।	,,
22	473	,,	हिन्दुस्तान वेहिविल्स कं० लि० फुलवारी शरीफ (पटना) को चालू रखने में असफलता।	,,
22	474	,,	गया काटन मिल्स पुनः चालू करने की आवश्यकता।	,,
22	475	,,	पटना और उसके आस-पास उद्योगों को विकसित करने की आवश्यकता।	,,
22	476	,,	बिहार काटन मिल्स प्रा० लि० का विस्तार करने की आवश्यकता।	,,
22	477	,,	पटना और बक्सर के बीच उद्योग धंधे स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
22	478	,,	साउथ बिहार शूगर मिल्स, बिहटा (पटना) की व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता।	,,
22	479	,,	कुटीर उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।	,,
22	480	,,	भागलपुर एवं नाथनगर रेशम उद्योग का विस्तार करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
22	481	श्री रामावतार शास्त्री	औद्योगिक शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता ।	100 रुपये
22	482	,,	तसर उद्योग को विकसित करने पर जोर देने की आवश्यकता ।	,,
22	483	,,	ग्रामीण उद्योगों के विकास पर बल देने की आवश्यकता ।	,,
22	484	,,	राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
22	485	,,	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यचालन में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
22	486	,,	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में धन का दुरुपयोग रोकने में असफलता ।	,,
22	487	,,	खादी ग्रामद्योग बोर्ड में चल रही जातीयता रोकने में असफलता ।	,,
22	488	,,	बिहार को देश के औद्योगिक मानचित्र पर लाने में असफलता ।	,,
22	489	,,	उत्तर बिहार में उद्योग-धंधे विकसित करने में असफलता ।	,,
22	490	,,	सरकारी क्षेत्र में उद्योग धंधे विकसित करने की आवश्यकता ।	,,
22	491	,,	कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास करने में असफलता ।	,,
22	492	,,	बेकारी की समस्या का हल निकालने में असफलता ।	,,
22	493	,,	राज्य में उपलब्ध कच्चे माल, खनिज एवं श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग करने में असफलता ।	,,

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra) : The budget has been submitted under special circumstances, and I consider it a very realistic budget.

The budget presented before the State Government last time was a collective budget on behalf of as many as three Governments which ruled Bihar during last 1-1/2 years, and they tried to show maximum deficit therein so as to financially burden the Central Govern-

ment. This budget, however, provides for certain amenities to the teachers and I consider it a realistic budget.

I would not refer to the different views expressed in the House after the promulgation of Presidents' rule in Bihar, but would say something about what happened thereafter.

Since this promulgation about 1-1/2 months ago, there has been abslutely no law and order in the State. I would refer to the incident which occured on the 30th when police opened fire on the Adivasis and murdered many. The Governor did not care for holding an inquiry into that mishap. Likewise, a sleeping man was also murdered in the night by the police. I can, therefore, say without any hesitation that since the clamping of President's rule in Bihar, there have been many such incidents which I have never heard nor seen before. It is really a matter of great shame and regret. The Government of India is answerable for it since they control the administration there. Whole of the Constitutional Affairs relating to that State are confined to Delhi only. In this behalf, I had put a Short Notice Question which was rejected and I want to know what is the other forum to express one's views in this regard ? Some ex-M.L.As. and Councillors wanted to talk to the Governor there but he gave no opportunity for it. The police excesses are on the increase since the proclamation of President's Rule there. Now the situation is that nobody is able to express his views freely in that State which gave birth to the first President of India. The Government said that they were not aware of any such informations; although it has come in the newspapers; the Governor has also been informed in writing, the Advisor has also received many letters and Telegrams from the M.L.A's. ; but the Government says that they are not aware. I do not know how is it so. Is the Government blind ? In fact they are not caring for Bihar because they will not get votes from there.

Today, the Home Minister is answerable for all the affairs there ; but there is no law and order in that State.

When the proclamation to President's rule came here for approval of the House, Shri D. N. Tiwary had said that the capability of the Advisors for Bihar should have been ascertained first. But the Home Minister did not like it. Now you can well see the situation there. They are indulging in nepotism and favouritism. They have started re-organising every thing ; creating new Departments and disbanding the old ones. They say they are working as a cabinet there. Previously, the affairs were looked after by a cabinet of 14 ministers but now only 2 persons are doing every thing. They have taken over the power of executive business also and the Governor has absolutely no powers. Although it was assured that no policy decision will be taken during the Presidents' rule, excepting that by the Governor, but the Advisors have started taking those decisions also and they have decided to form a University Reforms Committee and have appointed Raman Committee to suggest the policy in regard to propogation of Hindi. But the persons taken therein have no love for Hindi and I can say with firm determination that Hindi is likely to receive a great blow owing to all this. There is a likelihood of many more such Committees to come into being and the Bihar State will have to bear the brunt. If this goes, the Congress will suffer still more loss, there is no doubt about it.

They are planning to re-organise the administration there and propose to upgrade the Secretaries and Collectors to the grade of Commissioners, so that they may get more money ; and thus want to satisfy that class. I am, therefore, of the firm belief that this is not going to help Bihar to progress.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

As regards mid-term polls, lla of you know that there was much hue and cry about

those in Bihar. The actual voters did not get opportunity to vote. I think, about 25% of the people most of whom were the Harijans and poor people, could not exercise their franchise properly. And I am afraid that if this be the condition of law and order, not even the 50% of the people will be able to cast their vote in the elections. Governor should ensure that people are able to reach the polling booths without any fear in their minds and no body should be able to threaten them. I do not think it is essential to have elections only on one day. Let it take even a week or two if necessary. Let any party come to power, we have no objection, but the voters should get the full opportunity to exercise their right.

With these words, I welcome the budget.

अध्यक्ष महोदय : हमें यह 3.30 बजे आरम्भ करना चाहिये था। क्यों न हम आधा घन्टा अधिक बैठें तथा 6.30 बजे तक समाप्त कर लें। प्रत्येक व्यक्ति 5 या 10 मिनट तक बोले ताकि सबको अवसर मिल सके।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : After thoroughly reading this budget. I reached a conclusion that this budget is anti-Bihar and anti-farmers, since in the name of eradicating a deficit of Rs. 26 crores, a cut worth Rs. 477 lakhs and Rs. 163 lakhs has been made in the items relating to the projects and central aid respectively. This shows that a lot of injustice has been being done to Bihar during the last three 5-year plans. That is why Bihar is far backward a State where as Punjab is not. During First 5-year plan, Bihar got only Rs. 55 crore whereas Punjab having half as much as Bihar's population, got Rs. 141 crores. Similar has been the case during the 2nd 5-year plan also. This sort of discrimination with Bihar is the main reason for its backwardness.

Likewise, on the basis of population, Bihar was to get at least Rs. 95 crores during 1968-69, but the Planning Commission gave Rs. 71.70 only from which also the Finance Minister deducted Rs. 5 crores. That is why we say that it is an anti-Bihar budget. This injustice has been done to Bihar even when it is well known that Bihar is the most backward State.

Not only that, this budget is anti-farmers also. During last drought, the farmers sufferred a loss of Rs. 4 Arab as a result of destruction of crops. This year too the maize crops have been swept away. Even in such circumstances, the farmer's condition is being stated to be good and an increase of Rs. 468 lakh has been made in the amount of recoveries of loans in arrears. We do not say that the arrears should not be recovered. But do not recover from those who are unable to pay for the present. But force is being used against the poor farmers and their properties are being auctioned away. There is alround unrest. So what should we call this budget else then an anti farmer budget ?

Two S.V.D. Governments came up in Bihar and both decided to provide more and more amenities to the weakest, most exploited and troubled section of people as also to reduce social disparity. But now we see that they will be charged Rs. 6. 66 lakh more. Is it a specimen of socialism or their policy of reducing social disparity ? But the hon. Finance Minister forgets every policy and justice while crushing the poor people.

Not only that irrigation is the most essential thing and every member has expressed its need ; but in this budget ; a deduction of Rs. 1.25 crores has been made against the item of irrigation. Hence is it not an anti-farmer budget ?

Had the Finance Minister some sympathy with Bihar, he should have prepared the budget just as the earlier two governments did. But he wants to overcome the financial crisis by shutting down the sources of development. Actually he is in the habit of misleading the House. He has stated that the increase in receipts of mineral-digging is the

result of increase in the rates of royalties. It is wrong. Had this been done there would have been an increase of Rs. $2\frac{1}{2}$ crores in the receipts.

Secondly, Central Government gives a fixed amount of money to states instead of the actual duty on railway fares, thus rendering the states in loss. The Railways are increasing duty on railway fares every now and then, but the states are not getting the benefit of that increase. The centre takes away that money. Similarly the Centre has taken away from the States the right of imposing sales-tax on cloth, sugar and tobacco with the result that when the States increased the sales-tax five times, they could not get this money on these three items ; centre took it away.

These are the reasons that there are financial crisis in the States.

Besides that, under Article 269 of the constitution, the centre could impose tax on certain seven items and that amonut would have been collected by the States. But the Centre did not utilise that Article and never levied any tax on those items since they knew that they would not get any benefit. Let States go to hell, they are not bothered.

There is a demand of increase in D.A. by the employees because of high rise in the prices. The prices rise as a result of not a state's but Central Government's Financial policies ; and, therefore, the Central Government only should bear the expenditure on increase in D.A. of the employees. Had the centre accepted that, there would have been no financial difficulty in the States.

It is a curse for Bihar that this State has to pay about 53 per cent of its total revenues as an instalment for the loans, as well as interest thereon. Not Bihar, but Centre is responsible for it, How can Bihar manage after paying so much ? The only way to help Bihar is that the Centre's loans on this state should be written off and a Commission should be appointed to find out where that loan was utilised.

I want to say that the grievance of Bihar should be looked into. President's rule has been promulgated there but the whole administration is in the hands of only two persons--the Advisors---one of whom is quite blind and cannot read and write even, and both of whom started quarreling over the power and status just at the very out set. What should we do in such circumstances ? We feel we should rebel but when we see you and this House, we feel a hope of getting some amenities for Bihar.

The worst state of administration there is that the communalism and casiism are prevailing in Bihar. This fact can well be proved by the circular issued by the Additional Secretary on behalf of the Government of Bihar to all the District Registrars. It states "Whenever there is any sale of immovable property by a Muslim, the registration officer should bring the provisions of the Foreign Exchange Act into operation." That means, it is an offence to be a Muslim.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

Shri P. G. Sen (Purnea) : Sir, we are grateful to the Central Government for providing assistance to the Government of Bihar in its efforts to overcome difficulties. If natural resources of the State are properly exploited, the income of the state could be enhanced. Efforts are being made to augment the revenue of State Electricity Board.

The main problem of our state is irrigation. The areas of lower level get irrigation water from canal but land at higher level remains deprived of water. This problem should be looked into. Facilities of irrigation should be provided to all categories of land.

The farmers should be provided tractors at cheap rates. It is beyond the reach of average farmer of our country. The farmers should be provided credit at nominal interest. I suggest only Cooperative Banks should be authorised to give credit and private lenders should not be there.

Apart from other things the housing problem should also be attended to. Tin and iron sheets should be made available for houses. At present they live in thatching grass and bamboo houses. These houses give in during rainy season and cause great hardship. C.G. sheets should be made available to farmers at reasonable rates.

The dung should not be used as fuel. The farmers should be given coal for this purpose. The cultivators are the back bone of our country. They should be provided all facilities.

There are big tanks in Bihar in large numbers. These tanks could be utilized for development of fisheries. This will help in making supply to West Bengal where it is in great demand. Our Government employees ask for need based wages. We should have work based wages. The strikes should not be resorted to as a means redressal of grievances.

In Purnea District of Bihar the level of underground is not low. This water could be utilized for by sinking tubewells there. I request to the Government to provide necessary assistance for this. A big scheme should be prepared for sinking of tubewells in the entire Indo-Gangetic plains.

Shri Himmatsinghka (Godda) : Inspite of the fact that Bihar is very rich in the matter of natural resources, the state is very backward. Its average income is very low. There are many rivers that flow through the state and could be utilized for irrigation purposes. We should take steps to exploit the natural wealth of the state. There are three blocks in Bihar, where severe drought has taken place. People there are in great difficulty.

Then there are tribal areas of the state that have all along been neglected. Government should do something for them. There are certain development scheme that are lying incomplete for want of funds. These should be taken up.

The Santhal Pargana area should be developed with any further delay. It is learnt that power rates have recently been raised there. It is not proper. It should be provided at reasonable rates. A portion of the Central assistance to Bihar should be earmarked for two Districts of Ranchi and Santhal Pargana. The money collected as cess on sugar should be utilized for bettering the quality of sugar-cane. Proper attention should be paid for afforestation in the state.

Shri Mudrika Singh (Aurangabad) : Bihar is a State which has been enjoying nature's grace all through. There are endless waters underneath the Bihar soil and we can certainly have better irrigation arrangements. But it is most unfortunate that this soil has the poorest possible people. They are poor in all respects viz., education, health etc. This State is most handicapped a State amongst all other states ; although it is rich in all respects, i.e., the whole of South Bihar is full of diamonds, alms, manganese, iron ores and many other minerals and also the most fertile soil. Even then it is the most backward State. Why so much poverty is there, that is the question ? It is time that some of my friends questioned what the Congress Government could do in the last 20 years. But when the budget is before the Parliament we should not indulge in irrelevant struggle and throw mud on one another. Better we should talk about certain constructive measures. I, however, want to make it clear that it is not time to say that nothing has been done during last 20 years. There is no river in South Bihar on which a dam has not been built and

Canals drawn. There is a great improvement in educational field also. The difficulty is that the people here are very poor. . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण आगे जारी रखें।

इसके बाद लोक सभा सोमवार, दिनांक 26 अगस्त, 1968/भाद्र, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 26, 1968 Bhadra 4, 1890 (Saka).

Tritbraj Press, Allahabad.